अंसगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं व कानून

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
[HALSA/हालसा]

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य संरक्षक
मुख्य न्यायाधीश,
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष
माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश कुमार मित्तल
न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव
विक्रम अग्रवाल
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

संयुक्त सदस्य सचिव
सुनील चौहान
मुख्य दंडाधिकारी

प्रकाशकः
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
इन्स्टिट्यूशनल प्लाट नम्बर 9,
सैक्टर-14, पंचकुला
ई-मेल : hslsa@chd.nic.in वैब साईट : www.hslsa.nic.in

तालिका

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ क्रमांक
	प्रस्तावना	
	श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न योजनाऐं।	**1**
1.	कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता	4
2.	श्रमिकों द्वारा नयी साईकिल खरीदने पर उसकी भरपाई करने बारे	4
3.	महिला श्रमिको कौ हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड की तरफ से सिलाई मशीन खरीदकर देने बारे	5
4.	औद्योगिक श्रमिकों को एल.टी.सी सुविधा उपलब्ध करवाने बारे	5
5.	कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना	5
6.	श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे	6
7.	महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारें	7
8.	औद्यौगिक कामगारों की सेवा के दौरान कार्य स्थल से बाहर दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर सहायता वित्तीय सहायता	7
9.	श्रमिकों तथा उनके औरतों को डैन्टल केयर/जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता देने बारे	8
10.	मृतक औद्यौगिक कामगारों की विधवाओं/औरतों को आर्थिक मदद	8
11.	श्रमिक की कार्य स्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारें	9
12.	श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे	9
13.	श्रमिकों के बच्चों की सांस्कुतक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे	10

14.	औद्यौगिक कामगारों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना	11
15.	किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे	12
16.	किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन या hearing aids हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे	12
17.	अपंग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को Try Cycle उपलब्ध करवाने बारे	12
18.	मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना	13
19.	औद्यौगिक श्रमिकों के अपंग,अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे	18
20.	औद्यौगिक राज्य में श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना	19
21.	औद्यौगिक श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने बारे	19
22.	मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	19
23.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के लिए जनवरी 2013, से निर्धारित आवेदन- पत्र	21
24.	श्रमिक की अंडरटेकिंग	24
25.	सभी योजनाओं के अर्न्तगत लाभ प्राप्त करने हेतू (अग्रिम रसीद)	25
26.	छात्रवृत्ति तथा वर्दी/ किताबें व स्टेशनरी आदि खरीदने की योजना के तहत स्कूल/कालेज/टैक्नीकल शिक्षा संस्थान/ यूनिवर्सिटी से जारी प्रमाण -पत्र का प्रारूप	26
27.	PURUSHKARS SHARAM के मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रारूप	27
28.	साईकल खरीद कर बिल के साथ भेजी जाने वाली श्रमिक की अण्डरटेकिंग	28
29.	अण्डरटेकिंग (प्रसूति योजना)	29
30.	सिलाई मशीन खरीद कर बिल के साथ भेजी जाने वाली महिला श्रमिक की अण्डरटेकिंग	30
31.	डेन्टल केयर हेतू डाक्टर की प्रैसक्रिप्सन	31

	हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	**32**
	बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं	**36**
32.	मातृत्व लाभ योजना	36
33.	छात्र वृत्ति योजना	36
34.	कन्यादान योजना	36
35.	अक्षम बच्चों कों वित्तिय	36
36.	मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना	37
37.	चिकित्सा सहायता	37
38.	स्वास्थ्य बीमा योजना	37
39.	बच्चों की शादी पर	37
40.	सिलाई मशीन योजना	38
41.	साईकिल योजना	38
42.	मकान खरीद हेतू सहायता	38
43.	औजार हेतु उपदान सहायता	38
44.	पैंशन योजना	38
45.	पारिवारिक पैंशन	39
46.	अपंगता सहायता पैंशन	39
47.	श्रमिक की मृत्यु पर सहायता	39
48.	अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर सहायता	40
49.	दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता	40
50.	पैतृक घर जाने पर किराया	40
51.	मुफ्त भ्रमण सुविधा सहायता	40
52.	सहायता अंशदान वापस राशिः कुल जमा अंशदान	41
53.	घातक बीमारियों की स्थिति में ईलाज के लिए आर्थिक सहायता	41
54.	पंजीकरण हेतू आवेदन प्रारूप	43

55.	भवन व अन्य संनिमार्ण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र	45
1.	श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार	46
2.	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान	47
3.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही केन्द्रीय योजनाएं	47
4.	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979	48
5.	भवन एवं अन्य निर्माण कामगार	48

vLoh dj.k

इस पुस्तिका में, अंसगठित श्रेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं व कानून के प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है ताकि पाठक इसे आसानी से समझ सकें। यह पुस्तिका किसी भी तरह से अंसगठित श्रेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं व कानून या इसके प्रावधानों का विकल्प नहीं है। यह पुस्तिक उस श्रृंखला में एक कडी है जो जन साधारण में कानूनी जागरूकता फैला रही हैं।

परिचय

भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है। असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है जो 16.5.2009 से प्रवृत्त है। इसका मुख्य उत्तदायित्व कामगारों और विशेष रूप से समाज के वंचित उपेक्षित एवं निर्धन वर्ग के हितों की रक्षा करना, उन्हें संरक्षण प्रदान करना व रोजगार सेवाओं को विकसित और समन्वित करना है। वर्तमान में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम से संबंधित 44 विधान है जो न्यूनतम मजदूरी, दुर्घटना सम्बन्धी और समाजाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभों, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रोजगार की 'शर्तों, अनुशासनात्मक कार्यवाई, श्रमिक संघ बनाए जाने, औद्यौगिक संबधों आदि से संबंधित है।

समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाऐं प्रदान करने के लिए विधिक सेवाऐं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण का गठन किया गया है। जैसे कि कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ हैं, इसके लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवाऐं प्राधिकरण, (हालसा) कानूनी जागरूकता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। जन जन तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाऐं छपवाई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके। यह प्रस्तिका भी इसी उददेश्य को पूरा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है, ताकि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लगभग 45 करोड़ श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सके।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए वर्तमान में चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं तथा उनका लाभ उठाने हेतू निर्धारित शर्ते कौन सी हैं?

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

हरियाणा श्रम बोर्ड द्वारा औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सुपरवाईजरी कैटेगरी तक के 20,000 रूपये तक मासिक वेतन पाने वाले औद्यौगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक का पूर्ण देय अंशदान बोर्ड में जमा करवाने पर बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। केवल साईकल, सिलाई मशीन व एल०टी०सी० योजनाओं में श्रमिक की मासिक वेतन सीमा 10,000 रूपये निर्धरित की गई है। आवेदन-पत्र के साथ संस्थाद्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के मास से पूवर्च मास की Salary Slip व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ की राशि की संख्था द्वारा साक्षांकित अग्रिम रशीद भेजनी आवश्यक है। बोर्ड की सभी 22 योजनाओं के अन्तर्गत निर्धरित आवेदन-पत्र का एक ही प्रारूप निर्धरित किया गया है जो योजनाओं के अन्त में संलग्न है। सरकार के " बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ " अभियान के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मदनांक 23.2.2015 से बोर्ड की प्रसूति योजना में लाभ बढ़ाकर तीन लड़कियों तक छात्रवृत्ति योजना में तीन लड़कियों व दो लड़कों तथा कन्यादान योजना में तीन लड़कियों तक लाभ देने का प्रावधान कर दिया गया है। योजनाओं का संक्षेप में तथा पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

योजनाओं का संक्षेप में विवरण

क्रम संख्या	योजनाओं का नाम	निर्धारित सेवावधि	निर्धारित मासिक वेतन की अधिकतम सीमा	वित्तीय सहायता की राशि
1	कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में कार्यरत महिला स्वयं की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता योजना	5 वर्ष	20,000 रू०	51,000 रू०
2	श्रमिकों द्वारा नई साईकिल खरीदने उपरांत उसकी वास्तविक कीमत या 3000 रू० तक जो भी कम कीमत हो की भरपायी बोर्ड द्वारा की जाएगी	2 वर्ष	10,000 रू०	3,000 रू०
3	महिला श्रमिकों द्वारा सिलाई मशीन खरीदने उपरांत उसकी वास्तविक कीमत या 3500 रू० तक जो भी कम कीमत हो की भरपायी बोर्ड द्वारा	2 वर्ष	10,000 रू०	3,500 रू०

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए वर्तमान में चलायी जा रही विभिन्न योजनाएं तथा उनका लाभ उठाने हेतू निर्धारित शर्ते कौन सी हैं?

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

हरियाणा श्रम बोर्ड द्वारा औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एस) के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सुपरवाईजरी कैटेगरी तक के 20,000 रूपये तक मासिक वेतन पाने वाले औद्यौगिक व कमर्शियल संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक का पूर्ण देय अंशदान बोर्ड में जमा करवाने पर बोर्ड की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है। केवल साईकल, सिलाई मशीन व एल०टी०सी० योजनाओं में श्रमिक की मासिक वेतन सीमा 10,000 रूपये निर्धरित की गई है। आवेदन-पत्र के साथ संस्थाद्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के मास से पूवर्च मास की Salary Slip व सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ की राशि की संख्था द्वारा साक्षांकित अग्रिम रशीद भेजनी आवश्यक है। बोर्ड की सभी 22 योजनाओं के अन्तर्गत निर्धरित आवेदन-पत्र का एक ही प्रारूप निर्धरित किया गया है जो योजनाओं के अन्त में संलग्न है। सरकार के " बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ " अभियान के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मदनांक 23.2.2015 से बोर्ड की प्रसूति योजना में लाभ बढ़ाकर तीन लड़कियों तक छात्रवृत्ति योजना में तीन लड़कियों व दो लड़कों तथा कन्यादान योजना में तीन लड़कियों तक लाभ देने का प्रावधान कर दिया गया है। योजनाओं का संक्षेप में तथा पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है :-

योजनाओं का संक्षेप में विवरण

क्रम संख्या	योजनाओं का नाम	निर्धारित सेवावधि	निर्धारित मासिक वेतन की अधिकतम सीमा	वित्तीय सहायता की राशि
1	कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में कार्यरत महिला स्वयं की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता योजना	5 वर्ष	20,000 रू०	51,000 रू०
2	श्रमिकों द्वारा नई साईकिल खरीदने उपरांत उसकी वास्तविक कीमत या 3000 रू० तक जो भी कम कीमत हो की भरपायी बोर्ड द्वारा की जाएगी	2 वर्ष	10,000 रू०	3,000 रू०
3	महिला श्रमिकों द्वारा सिलाई मशीन खरीदने उपरांत उसकी वास्तविक कीमत या 3500 रू० तक जो भी कम कीमत हो की भरपायी बोर्ड द्वारा	2 वर्ष	10,000 रू०	3,500 रू०

	की जाएगी			
4	श्रमिकों का एल० टी० सी० की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।	5 वर्ष	10,000 रू०	1000 रू०
5	कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना	1 वर्ष	20,000 रू०	कम से कम 4000 रू० तथा अधिक से अधिक 15000 रू०
6	श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे	2 वर्ष	20,000 रू०	क) पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक 2000 रू० पंचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक 3000 रू०
7	महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलध कराने बारे	1 वर्ष	20,000 रू०	7000 रू०
8	कामगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर सहायता वित्तीय सहायता	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	20,000 रू	क) 50%तक की अपंगता 20,000 रू० ख) 50% से उपर की अपंगता 30,000 रू०
9	श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर / जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता देने बारे	एक वर्ष	20,000 रू	क) डैन्टल केयर 2000 रू० ख) जबड़ा लगवाने 5000 रू०
10	मृतक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक मदद	छः मास	20,000 रू	1000 रू
11	श्रमिक की मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे	छः मास	20,000 रू	15,000 रू
12	श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	20,000 रू	1000 रू से 10,400 रू० तक
13	श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	20,000 रू	1,000 रू से 10,400 रू० तक
14	कामगारों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना	एक वर्ष	20,000 रू	1,000 रू तक
15	किसी भी दुर्घटना में	एक वर्ष	20,000 रू	साकेत हस्पताल,

	अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे			पंचकुला की दरों अनुसार
16	किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन **hearing aids** हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे	एक वर्ष	20,000 रू	3,000 रू तक की श्रवण मशीन
17	टपंग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को तिपहीया साईकल (Try cycle) उपलब्ध करवाने बारे	एक वर्ष	20,000 रू	तिपहीया साईकल के लिए, 5,000 रूपये तक की राशि
18	मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना	तीन वर्ष	20,000 रू	20,000 रू से 1 लाख रूपये तक के पुरूस्कार
19	राज्य में श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नहीं है	श्रम कल्शण केन्द्रों में श्रमिकों की लड़कियों व उनकी महिलाओं को बिना किसी फीस के प्रशिक्षण दिया जाता है
20	श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे।	–तदैव–	–तदैव–	70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) की स्थिति में 15,000 रूप्ये प्रतिवर्ष 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की स्थिति में 20,000 रूपये प्रतिवर्ष
21	श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने बारे।	–तदैव–	–तदैव–	श्रमिकों के लिए प्रति वर्ष जोनल स्तर और राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है और विजेता खिलाड़ियों को ईनाम की राशिव ट्राफी प्रदान की जाती है।

22	मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	–तदैव–	–तदैव–	मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिनांक 1.1.2014 से औद्यौगिक श्रमिकों की कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने पर 5 लाख रूप्ये तथा विकलांगता होने की अवस्था में 50,000 रूपये से 1,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता।

योजनाओं का पूर्ण विवरण

1. कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता योजना

यह योजना रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 में आरंभ की गई थी। श्रमिक वर्ग की लड़कियों संबधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के शुभ अवसर पर वित्तीय सहायता देने के उददेश्य से कन्यादान नामक योजना संचालित की गई थी जिसके अर्न्तगत कन्या का विवाह होने पर कन्यादान स्वरूप 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23.2.2015 से उक्त योजना का लाभ 2 कन्याओं से बढ़ाकर 3 कन्याओं तक विवाह हेतू दिया जायेगा। इस योजना के लागू होने से एक तो लड़की को समाज में बोझ नहीं माना जायेगा तथा लड़के–लड़की के भेदभाव को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। इस सहायता का कामगार द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव **निर्धारित शर्तेः–**

1. श्रमिक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ लड़की की शादी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. श्रमिक लड़की की शादी के उपरांत 6 मास के अन्दर–अन्दर आवेदन प्रस्तुत करेगा।
3. कन्यादान की राशि का चैक/ड्राफट लड़की के पिता/माता के पक्ष में भेजा जायेगा।
4. कामगार एक अंडरटेकिंग देगा जिसमें उस द्वारा आवेदित कन्या की शादी हेतू कन्यादान की राशि बोर्ड से पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार अथवा पहले कभी न लेने बासरे स्पष्ट वर्णन करना होगा।

2. श्रमिकों द्वारा नयी साईकल खरीदने पर उसकी भरपाई करने बारे

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। 10,000 रूपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों को उनके निवास स्थान से संस्था तक डयूटी पर आने जाने के लिए श्रमिक द्वारा एटलस, एवन, हीरो, हरकुलिस व बी०एस०ए० ब्रांड में से किसी एक ब्रांड की साईकल खरीदने उपरान्त 3000 रूप्ये (तीन हजार) तक की या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की भरपाई की जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. श्रमिक द्वारा एटलस, एवन, हीरो, हरकुलिस व बी एस ए ब्रांड में से किसी एक ब्रांड की साईकल खरीद कर मूल बिल साथ भेजना होगा।

2. श्रमिक को साईकल पूर्ण सेवा काल में केवल एक बार ही दी जाएगी।

3. संस्था द्वारा जारी श्रमिक का आई डी प्रुफ आवेदन के साथ भेजना होगा।

3. <u>महिला श्रमिकों को हरियाणा श्रमक ल्याण बोर्ड की तरफ से सिलाई मशीन खरीदकर देने बारे।</u>

हरियाणा कल्याण बोर्ड द्वारा औद्यौगिक व कमर्शियल संस्थओं में कार्यरत महिला श्रमिकों के घरेलू उपयोग हेतू महिला श्रमिकों को अपने स्तर पर ब्रांडिड कम्पनियों (Merit, Laxmi, Sanger, Usha & Zenith) में से कोई ऐ ब्रांड की कम्पनी की सिलाई मशीन खरीदने पर 3500 रूपये अथवा सिलाई मशीन की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. सिलाई मशीन पूर्ण सेवाकाल में एक बार प्रदान की जायेगी।

2. संस्था द्वारा जारी श्रमिका का आई.डी. पुर्फ आवेदन के साथ भेजना होगा।

1. <u>औद्यौगिक श्रमिकों को L.T.C. की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।</u>

इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा कल्याण कल्याण बोर्ड द्वारा औद्यौगिक व कमर्शियल संस्थानों के श्रमिकों के लिए 1000 रूपये की राशि L.T.C. स्वरूप दी जलाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. इसके अन्तर्गत श्रमिक को 4 वर्ष के ब्लाक में एक बार 1000 रूपये की राशि L.T.C. दी जायेगी।

2. श्रमिक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उसने संबधित ब्लॉक में पहले कोई L.T.C. का राशि नहीं ली है।

3. प्रथम ब्लाक वर्ष 2012-2015 का माना जायेगा।

1. <u>कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1976 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उददेश्य श्रमिकों के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दिनांक 23.2.2015 से परीक्षा पास करने पर (चाहे परीक्षा न्यूनतम नम्बरों से भी पास की गई हो) व अगली परीक्षा में पढ़ाई जारी करने पर श्रमिकों की 3 लड़कियों तथा 2 लड़कों तक विभिन्न कक्षाओं में निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि दी जायेगी हैः-

पढ़ाई जारी रखने की कक्षा	लड़कों के लिए प्रस्तावित राशि	लड़कियों के लिए प्रस्तावित राशि
9 वीं से 10 वीं	4000	6000

11 वीं से 12 वीं	4500	6750
सभी प्रकार की स्नातक डिग्रियों तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	5000	7500
सभी प्रकार की इंजिनियरिंग डिग्री बी० फार्मेसीं के प्रत्येक वर्ष के लिए	7000	10500
पालटैकनिकल डिप्लोमा सी०ए० डी० फ्रामेसी ए०एन०एम०, जी० एन० एम० तथा अन्य अंडरग्रेज्युएट डिप्लोमा तक के प्रत्येक वर्ष के लिए	6000	9000
आई०टी०आई डिप्लोमें के प्रत्येक वर्ष के लिए	500	7500
सभी प्रकार की स्नाकोतर डिग्रियों/डिपलोमें बी०एस०सी० नर्सिंग के प्रत्येक वर्ष के लिए	600	9000
सभी प्रकार की मेडीकल डिग्रियों (एम०बी०बी०एस, बी०डी०एस,बी०ए०एम०एस आदि के प्रत्येक वर्ष के लिए	10000	15000

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें :-

1. इस योजना के लाभ हेतू आवेदन-पत्र बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में संबधित सत्र में प्रस्तुत व अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है।। 31 दिसम्बर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. यदि किसी श्रमिक का बच्चा और संस्था सो भी छात्रवृत्ति ले रहा है तो वह भी योजना का लाभ ले सकता है।

3. यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको भविष्य में कभी भी छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी और दी गई छात्रवृत्ति की राशि वापिस ले ली जायेगी।

4. जो दा स्वयं रोजगार या नौकरी पर है इस स्कीम के तहत कवर नही होंगे।

5. श्रमिकों के वे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिकों के जो बच्चे हरियाणा राज्य से बहार पढ़ाई जारी रखे हुए हैं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

6. रि-अपियर/कम्पार्टमैन्ट आने पर छात्र/छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे।

2. श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे।

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों की लड़कियों को पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक

पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, पाठय पुस्तकें तथा कापियों आदि के लिए प्रवेश के समय एकमुश्त वित्तिय सहायता प्रदान की जाती हैः-

क्रम संख्या	कक्षा का नाम	दी जाने वाली राशि
1	पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर।	2000 रूपये
2	पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर।	3000 रूपये

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. उक्त योजना का लाभ श्रमिक की केवल तीन लड़कियों तक उपलब्ध करवाया जाएगा।

2. लड़की की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण-पत्र स्कूल के प्रिंसीपल/हैडमास्टर से स्कूल के लैटर पैड पर बनवाकर देना होगा।

3. श्रमिक द्वारा राशन कार्ड/ई०एस०आई० की फोटो प्रति आवेदन के साथ देनी होगी जिसमें लड़की के नाम का उल्लेख हो।

4. संबधित सैशन में आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद प्रस्तुत केसों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. <u>महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रस्तूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u>

यह योजना बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। सभी औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं की महिला श्रमिकों तथा पुरू"ा श्रमिकों की पत्नियों को दो बच्चों तक पैदा होने पर प्रसूति हेतू 7000 रूपये वित्तीय संहायता का लाभ दिया जाता है, दिनांक 23.3.2015 से उक्त योजना में महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को तीन लड़कियों तक पैदा होने तक प्रसूति योजना का लाभ दिया जाता है।

<u>पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-</u>

1. बच्चा होने की तिथि से छः मास के अन्दर-अन्दर आवेदन करना होगा।

2. श्रमिक द्वारा अपनी पत्नी होने का प्रमाण देना होगा।

3. बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र देना होगा।

3. <u>औद्योगिक कमगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर सहायता वित्तीय सहायता</u>

यह योजना वर्ष 1992 में आरंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत उन औद्योगिक कामगारों को जिनकी डियूटी के दौरान या अन्य किसी भी कारण से कार्यस्थल से बहार दुर्घटना में अपंगता हो जाती है तो उन्हें मेडीकल बोर्ड/ई०एस०आई० द्वारा अपंगता प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर आवेदन करने पर प्रतिशतता के आधार पर निम्न प्रकार से सहायता दी जाती हैः-

क्रम संख्या	अपंगता की श्रेणी	वित्तीय सहायता की राशि
1.	Minor disability (50% तक की injury)	2000 रू०
2.	Minor disability (50% से ऊपर की injury)	3000 रू०

अपंग श्रमिक यह अंडरटैकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया।

5. <u>श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता देने बारे।</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। उक्त योजना के अर्न्तगत डैन्टल केयर हेतू 2000 रूपये अथवा डेन्टल केयर के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने तथा पूर्ण जबड़ा (**Full denture**) लगवाने पर श्रमिक को 5000 रूपये अथवा जबड़े के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. Dentist की prescription तथा दवाई खरीदने का बिल कलेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2. पूर्ण जबड़ा लगवाने हेतू Dentist की prescription तथा Dentist से खर्च का बिल स्प"ट लिखावाकर तथा बिल पर Dentist के हस्ताक्षर मोहर सहित करवाकर कलेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3. आवेदन डेंटल केयर अथवा जबड़ा लगवाने की Dentist की prescription तथा बिल की तिथि के तीन मास के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

4. श्रमिक यह शपथ-पत्र देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया है।

4. <u>मृतक औद्यौगिक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक मदद।</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1976 में चलाई गई थी। इसके अंर्तगत श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसकी विधवा या आश्रित को वित्तीय सहायता की राशि 1,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें :-

1. विधवा का आवेदन पत्र उसके पति की मृत्यु के दो व"ों के अन्दर-अन्दर क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालय में प्राप्त होना चाहिए।

2. नियोक्ता श्रमिक की मृत्यु होने का प्रमाण-पत्र देगा तथा जन्म मृत्यु प्रमाण -पत्र भी साथ लगाना आवश्यक होगा।

3. मृतक श्रमिक पर आश्रित, यह शपथ-पत्र देगा/देगी तल मृतक पर पूर्ण रूप से कानूनी तौर पर आश्रित तथा उसने पहले बोर्ड की उक्त योजना का लाभ नहीं उठाया है।

4. विधवा/आश्रित को राशन कार्ड/ई०एस०आई कार्ड/बोटर कार्ड/आधार कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

11. <u>श्रमिक की कार्य सील से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की कार्य सील से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दाह संस्कार व अन्य आवश्यक क्रियाक्रम हेतू मृतक श्रमिक की विधवा पत्नी या आश्रित को 15000 रूपये की वितिय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्ते :-

1. उक्त योजना की सभी शर्ते तथा आवेदन-पत्र मृतक औद्यौगिक श्रमिक की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता योजना की भांति होगी अर्थात इस योजना हेतू अलग से कोई प्रमाण-पत्र इने आवश्यक नहीं हैं।

5. <u>श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे।</u>

श्रमिकों के बच्चों की खेल के क्षेत्र में भाग लेने पर हरियाणा बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार ईनाम के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है, ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर अपनी प्रतिभा दर्शा सकें।

खेल प्रतियोगिताएं	जिला स्तरीय प्रतियोगिता	मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता	राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता	अर्न्त राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता
(क) सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	1000 रू०	2000 रू०	3000 रू०	4000 रू०	5000 रू०
(ख) सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान लेने पर।	1200 रू०	2200 रू०	3200 रू०	4200 रू०	5200 रू०
(क) व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	2000 रू०	4000 रू०	6000 रू०	8000 रू०	10000 रू०

(ख) व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान लेने पर।	2400 रू०	4400 रू०	6400 रू०	8400 रू०	10400 रू०

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लिया गया है का प्रमाण-पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित करवा कर भेजना होगा।

2. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान प्राप्त किया गया है का प्रमाण-पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित करवा के भेजना होगा।

3. श्रमिक यह प्रमाण पत्र देगा कि भाग लेने वाला खिलाड़ी उस पर आश्रित है।

4. आवेदन खेलों में भाग लेने का सर्टिफीकेट जारी होने की तिथि से एक व"ा के अन्दर-अन्दर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

5. राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

6. <u>श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे।</u>

श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में भाग लेने पर हरियाणा बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार उन्हें ईनाम के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है, ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे कलाकार के रूप में उभर कर अपनी प्रतिभा दर्शा सकें।

सांस्कृतिक प्रतियोगिता का नाम	जिला स्तरीय प्रतियोगिता	मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता	राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता	अर्न्त राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता
(क) सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	1000 रू०	2000 रू०	3000 रू०	4000 रू०	5000 रू०
(ख) सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता	1200 रू०	2200 रू०	3200 रू०	4200 रू०	5200 रू०

में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान पर प्राप्त करने पर।					
(क) एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	2000 रू०	4000 रू०	6000 रू०	8000 रू०	1000 रू०
(ख) एकल नृत्य प्रतियोगिता प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान प्राप्त करने पर।	2400 रू०	4400 रू०	6400 रू०	8400 रू०	10400 रू०

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः–

1. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक एकल या सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लिया उसका प्रमाण–पत्र जिला सांस्कृतिक अधिकारी से साक्षांकित करवा कर भेजना होगा।

2. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक एकल या सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान पर प्राप्त किया उसका प्रमाण–पत्र जिला सांस्कृतिक अधिकारी से साक्षांकित करवा के भेजना होगा।

3. श्रमिक यह प्रमाण पत्र देगा कि भाग लेने वाला बच्चा उस पर आश्रित है।

4. आवेदन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का सर्टिफीकेट जारी होने की तिथि से एक व"र्ा के अन्दर–अन्दर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

5. राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

14. <u>औद्योगिक कामगारों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना।</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। हरियाणा कल्याण द्वारा उन औद्योगिक श्रमिकों को जिनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है उन्हें 1000 रूपये तक की राशि के चश्में खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है। यदि चश्में की कीमत 1000 रूपये से कम होगी तो चश्में की वास्तविक कीमत श्रमिक को अदा की जाएगी तथा इस योजना का लाभ श्रमिक या उसके आश्रित को दिया जाता है।

पात्रता के लिए निर्धरित शर्तेः–

1. प्रार्थी को आवेदन–पत्र के साथ डाक्टरी प्रमाण–पत्र तथा चश्में खरीदने का बिल/रसीद भेजनी होगी।

2. श्रमिक अंडरटैकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया।

3. डाक्टर की प्रेसकिप्शन उपरांत चश्मा खरीदने के बिल की तिथि से तीन मास के अन्दर–अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4. श्रमिक के परिवार के सदस्य/आश्रित हेतू आवेदन करने के लिए आवेदन के साथ श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण देना होगा जैसे राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति।

7. किसी भी दुर्घअना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृतिम अंगों हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे।

यह योजना श्रम बोर्ड द्वारा वर्ष 12.02.2009 में आरंभ की गई थी। उन सभी औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों जिनका अंशदान बोर्ड में जमा होता है में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को महत्वपूर्ण अंगो के गंवा देने पर कृत्रिम अंग, साकेत हस्पताल, चण्डीमन्दिर (पंचकूला) द्वारा निर्धारित दरों तक की राशि की वित्तिय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः–

1. डाक्टर की prescription तथा कृतिम अंग खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।

2. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है।

3. अपंगता का साक्षांकित प्रमाण–पत्र साथ भेजना होगा।

8. किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन या hearing aids हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे।

यह योजना श्रम बोर्ड द्वारा वर्ष 12.02.2009 में आरंभ की गई थी। उन सभी औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों जिनका अंशदान बोर्ड में जमा होता है में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन या hearing aids खरीदने हेतू 3000 रूपये अथवा श्रवण मशीन (hearing aids) की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः–

1 श्रमिक डाक्टर की prescription तथा श्रवण मशीन या hearing aids खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।

2 आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित हैव राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

3 श्रवण शक्ति खोने का प्रमाण–पत्र साथ भेजना होगा।

9. अपंग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को Try Cycle उपलब्ध करवाने बारेः-

यह योजना श्रम बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी टांगे गवाने पर **Try Cycle** उपलब्ध करवाने हेतू 5000 रूपये या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो श्रमिक को उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. श्रमिक **Try Cycle** खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।

2. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है व राशन कार्ड की साक्षंकित प्रति साथ भेजनी होगी।

3. अपंगता का प्रमाण-पत्र साथ भेजना होगा।

18. मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के सम्मान हेतू उत्तम कामगार को मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार प्रदान करने संबंधी योजना वर्ष 2002 से संचालित की जा रही है। यह पुरस्कार प्रदेश के उन कामगारों को दिया जाता है जो उच्च कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। पुरस्कृत करने से जहां श्रमिक की पहचान सीापित होती है वहीं सहयोगी कामगारों को भी इस प्रकार का कार्य करने हेतु प्रेरेणा मिलती है। इससे प्रदेश में औद्योगिक शान्ति को भी बल मिलता है। यह पुरस्कार पुरूषों के साथ-साथ महिला श्रमिकों को भी दिए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से पुरस्कार देने की व्यवस्था हैः-

क्रम संख्या	पुरस्कार का शीर्षक	पुरस्कार की राशि	पुरस्कार की संख्या
1.	मुख्य मन्त्री श्रम रत्न पुरूस्कार	1,00,000 रू०	पूर्ण राज्य में केवल एक
2.	हरियाणा श्रम भूषण पुरूस्कार	50,000 रू०	पूर्ण राज्य में केवल दो
3.	हरियाणा श्रम वीर पुरूस्कार	20,000 रू०	पूर्ण राज्य से इक्कीस
4.	हरियाणा श्रम वीरांगनां पुरूस्कार	20,000 रू०	पूर्ण राज्य से इक्कीस

उक्त पुरस्कारों हेतू अंकों का माप दण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया हैः-

Sex	Maxmum Prescribed marks	% age of prescribed marks	Minimum marks for eligibility

Male	35	45%	15.75 say 16
Female	35	40%	14
Handicapped male	35	40%	14
Handicapped female	35	35%	12.25 say 12

उक्त निर्धारित मापदण्ड अनुसार तुलनात्मक तौर पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थी को प्रथम, द्वितीय तथा जिला स्तरीय पुरस्कार दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक समान अंक होने की स्थिति में वह जिस श्रेणी के पुरस्कार पात्र बनते हैं, वह सभी बराबर अंक वालों को दिए जाएंगे तथा ऐसी स्थिति के दृष्टिगत यदि उक्त 45 पुरस्कारों की संख्या को घटाना बढ़ाना पड़े तो तदानुसार घटा बढ़ा दिया जायेगा।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बोर्ड को प्रस्तुत करने उपरांत यदि वह स्वेच्छा से सेंवानिवृ तल` लेता है या सेवानिवृत हो जाता है तो उसे भी संबंधित कैटगरी का पुरस्कार दिया जायेगा।

2. मुल्यांकन अंकों में प्रार्थी द्वारा फस्ट ऐड, फायर फाईटिंग आदि के संस्था के स्तर से जारी इन्टर सर्टीफीकेटस के मुकाबले एक्सटरनल स़्त्रोत से जारी सर्टीफीकेटस को वरीयता दी जायेगी।

3. श्रमिक अपने प्रार्थना पत्र सीघे बोर्ड के मुख्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

<u>पुरस्कार की पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेंः–</u>

इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए योग्यता तथा परफारमैंस के निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैंः–

1. कुल पुरूस्कारों में से 5 पुरूस्कार विकलांग श्रमिकों के लिए आरक्षित होंगे। इस श्रेणी के कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में आरक्षित पुरस्कार सामान्य कामगारों को प्रदान किए जाएंगें।

2. कर्मचारी को केवल एक बार एक ही प्रकार का पुरूस्कार प्रदान किया जाएगा।

3. पुरूस्कार हेतू श्रमिक के चयन उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में पुरस्कार की राशि मृतक कर्मचारी के कानूनी आश्रित को देय होगी।

4. कर्मचारी के विरूद अनुशारानात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।

5. कर्मचारी का कार्यकाल संबधित संस्था में कम से कम तीन वर्ष का हो।

6. कर्मचारी के विरूद" मोरल टर्पीच्यूड" या अपराधिक मामला दर्ज न हो।

7. नियोक्ता कर्मचारी का आवेदन निर्धारित फार्म पर कर्मचारी के सुपरवाईजर तथा पर्सनल मनैजर/ कारखाना मनैजर आदि की सिफारिश समेत कामगार के कार्य,व्यवहार, कार्य कुशलता, अनुशासन,ईमानदारी सेह कर्तव्यपरायणता, वार्"िक हाजरी, संस्थान के प्रति निष्ठा, असाधारण उत्साहृ, कुशाग्र बुद्धि व असाधरण साह तथा संस्था के उत्पादन में कामगार द्वारा दर्शाई गई विशेष वृद्धि आदि बिन्दुओं को तथ्यों सहित अंकित करेगा नियोक्ता द्वारा श्रमिक को अच्छे कार्य के प्रति उसके अपने स्तर पर प्रदान किया गया

प्रोत्साहन (वेतन वृद्धि या पुरस्कार) आदि का विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

जिस आवेदक के मुल्यांकन अंक तुलनात्मक दृ"ट से अधिक होंगे उसी आवेदक का नाम पुरस्कार हेतू चयन किया जाएगा।

<u>योजना अनुसार प्रमाणों के आधार पर मूल्यांकन अंक प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार से हैः-</u>

1	कलैण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक) कामगार द्वारा कुल कार्य दिवसों के विरूद्व अटैण्ड किए गए कार्य दिवसों के विरूद्व अटैण्ड किए गए कार्य दिवसों की प्रतिशतता	05 अंक तक	(क) कुल कार्य दिवसों की 91 से 100 प्रतिशत तक हाजरी के लिए 04 अंक से 05 अंक तक (ख) कुल कार्य दिवसों की 81 से 90 प्रतिशत तक हाजरी के लिए 02 अंक से 03 अंक तक (ग) कुल कार्य दिवसों की 71 से 80 प्रतिशत तक हाजरी के लिए 01 अंक तक	संस्था के कलैण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक) में कार्य दिवसों की संख्या के विरूद्व प्रार्थी के हाजरी दिवसों की संख्या तथा हाजरी की प्रतिशतता (संख्या format अनुसार) भेजी जाती है तथ उप श्रम आयुक्त मुल्यांकन अंकों का आवंटन संलग्न मूल्यांकन की प्रक्रिया की तालिका के अनुसार ही करें तथा बिना के अंक आवंटित न किए जाए।
2	उत्पाद बढ़ाने में योगदान (उत्पादन की मात्रा बढ़ाने , मशीनरी में सुधार पावर सेविंग, मैटरियल लांस की सेविंग वाटर सेविंग, टाईप सेविंग ,टाईम सेविंग मशीनरी के स्वरूप में सुधार से दुर्घटना में कमी इत्यादि के ग्राफ सहित संस्था द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर	05 अंक तक	(क) 100 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 05 अंक तक (ख) 90 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 04 अंक तक (ग) 80 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 03 अंक तक (घ) 70 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 02 अंक तक	संस्था से प्रर्थी के प्रयास से संस्था के उत्पादन की बढ़ाने, मशीनरी में कोई टैकनीकल सुधार पावरसेविंग मैटरियल लास की सेविंग, वाटर सेविंग, टाईम सेविंग मशीनरी मशीनरी या समान की टूट -फूट में कमी इत्यादि के में प्रार्थी के योगदान का प्रमाण-पत्र भी संस्थ के हैं लेवे ळेड पर योगदान की प्रतिशतता सहित लेंवें। यदि संस्था के पास प्रार्थी के प्रयास से उत्पादन बढ़ाने का ग्राफ उपलब्ध है तो वह भी प्रमाण के तौर पर प्रार्थना-पत्र साथ लगाएं तथा संलग्न मूल्यासकन अंक प्रक्रिया मापदण्डों अनुसार उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन

				अंकों आंवटन करें यदि प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो आवंटित न करें ।
3.	बहादुरी का कोई विशेष सराहनीय कार्य (संस्था में कोई भी दुर्घटना होने पर साथी कर्मचारियों/ अधिकारियों को गम्भीर बिमारी(हार्ट अटैक, पैरालाईसिस इत्यादि) का अटैक होने पर चोट लगने पर अपनी तरफ से तुरन्त आवश्यक हर सम्भव शारीरिक व आर्थिक सहायता करना व संस्था में किसी प्रकार की आगजनी की स्थिति में अपनी जांच दांव पर लगाकर दूसरे की जान बचाना आदि सराहनीय कार्यों) बारे संस्थ द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर	04 अंक तक	वर्णित विषयों के संबंध में 1 से 04 अंक प्रदान किये जाएंगे	संस्था में कोई भी दुर्घटना होने पर संस्था कर्मचारियों/अधिकरियों को गम्भीर बिमारी (हार्ट अटैक, पैरालाईसिस इत्यादि) का अटैक लगने पर अपनी तरफ से तुरन्त आवश्यक हर सम्भव शारीरिक व आर्थिक सहायता करना व संस्था में किसी प्रकार की आगजनी की स्थिति में अपनी जांच दांव पर लगाकर दूसरे की जान बचाना आदि कामगर किए गए सराहनीय कार्य का प्रमाण अवश्य लगाएं प्रमाण होने पर ही उप श्रम आयुक्त प्रमाण के आधार पर अंक आंवटित करे अन्यथा नहीं।
4	सेवाकाल के दौरान प्रप्त की गई पदोन्नतियां (संस्था द्वारा कामगार को पूर्ण सेवा काल के दौरान प्रदान की गई पदोन्नतियों की संख्या पदोन्नति आदेशों की साक्षांकित प्रति प्रस्तुत करने पर)	03 अंक तक	प्रति पदोन्नति पर 01 अंक प्रदान किया जाएगा तथा अधिकत्म 03 अंक प्रदान किये जाएंगे	सेवाकाल के दौरान कामगार को दी गई पदोन्नति आदेश आदि की प्रति के प्रमाण पर उप श्रम आयुक्त अंक आंवाटित करें अन्यथा नहीं तथा प्रत्येक पदोन्नति पर एक अंक आंवटित करें तथा अधिकतम 03 अकों तक इस शीर्षक के अर्न्तगत अंक आंवटन करें।
5	खेलों में राष्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा (प्रमाण सहित) संस्था में सेवा के दौरान तथा सेवा से पूर्व के समय खेलों में प्रतिस्पर्धा आंकी जाएगी) तथा उक्त संबध में कामगार द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर	03 अंक तक	वरियता राष्ट्रीय स्तर खेलों के लिए 3 अंक राज्य स्तरीय खेलों के जिए 2 अंक तथा बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरिय खेलों के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे।	खेलों के प्रमाण -पत्र होने पर ही उप श्रम आयुक्त के द्वारा आंवटित करें तथा राष्ट्रीय स्तर या उससे उपर के स्तर के लिऐ 03 अंक तथा राज्य स्तरीय खेलों के लिए अंक तथा बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय खेलों के लिए अंक का आंवटन उप श्रम आयुक्त करें।
6	उच्च शिक्षा प्राप्त करना	03 अंक तक	क) स्नाकोत्तर डिग्री के लिए 03	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप आयुक्त

	(संस्था में सेवा के दौरान तथा सेवा से पूर्व के अर्जित की गई शिक्षा आंकी कामगार द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत		अंक तक ख) स्नातक डिग्री/ इजी० डिप्लोमा के लिए 3 अंक तक ग) 10 +2 / आई०टी० आई० डिप्लोमा के लिए 02 अंक घ) 8 वीं पास से 10 वीं पास के लिए 01 अंक तक	मुल्यांकन अंकों का आंवटन शिक्षा प्रमाण पत्रों के आधार पर ही करें अन्यथा नहीं।
7	प्राथमिक चिकित्सा (फस्ट एड) प्रशिक्षण तथा औद्योगिक सुरक्षा तथा फाया फाइटिंग नियमों का ज्ञाान तथा योगदान। कामगार द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर	02 अंक तक	क) फस्ट एड तथा फायर फाईटिंग का प्रशिक्षण संस्था से बाहर की एजैंसी द्वारा प्रदान करने के प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर 02 अंक तक ख) फस्ट एड तथा फायर फाईटिंग संस्था द्वारा स्वयं उक्त प्रशिक्षण देने संबन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 01 अंक तक	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उप श्रम आयुक्त मुल्यांकन अंक आंवटन करें अन्यथा नहीं।
8	सेवाकाल के दौरान किये गऐ कोर्स तथा सेमेनार अटैंड करने पर कामगार द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर	02 अंक तक	प्रति प्रमाण-पत्र 01 अंक तथा अधिकतम 02 अंक	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा
9	सेवाकाल के दौरान प्राप्त विशेष वेतन वृद्वि या पुरस्कार (संस्था द्वारा कामगार को पूर्ण सेवा काल के दौरान प्रदान की गई वेतन वृद्वियों की संख्या वेतन वृदियों के आदेश व प्रमाण की	02 अंक तक	प्रति वेतन बृद्वि पर 01 अंक प्रदान किया जाएगा। तथा अधिकतम वेतन वृद्वियों पर 02 अंक प्रदान	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा

	साक्षांकित प्रति प्रस्तुत करने पर		किए जाएंगे।	
10	कोई विशेष ईमानदारी/सामाजिक कार्य (ईमानदारी के कार्य के अतिरिक्त खून दान, श्रमिकों तथा संस्था में विवाद की स्थिति में समझौते में सहयोग, सामाजिक कार्य जैसे पौधा रोपण, एडस के प्रति जागृति, सामाजि बुराईयों के उन्मूलन में सहयोग करना तथा भ्रूण हत्या के विरूद्व समाज में जागृति पैदा करना इत्यादि। प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करने पर)	02 अंक तक	प्रति प्रमाण- पत्र 01 अंक तथा अधिकतम 02 अंक	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा
11	सेहत की स्थिति	02 अंक तक	कामगार के अच्छे स्वास्थ्य के आधार पर	इस शीर्षक में उप श्रम आयुक्त कामगार की स्वयं स्थिति को स्वयं देखकर आंवटन अंक प्रदान करें अन्यथा
12	अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता	02 अंक तक	संस्था द्वारा अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता का प्रमाण-पत्र देने के अतिरिक्त कामगार की हाजरी अधिकतम (90 से 100 प्रतिशत तक) होने पर समय पर काम करने पर 02 अंक तथा उक्त से हाजरी कम होने पर 01 अंक प्रदान किया जाएगा।	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा

19. <u>औद्यौगिक श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे।</u>

औद्यौगिक श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को निम्न अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती हैः-

क्रम संख्या	योजना का नाम	निर्धारित सेवावधि व मासिक वेतन	वित्तीय सहायता की राशि	
1	औद्यौगिक श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally disorder) बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे	कोई नही	70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally disorder) की स्थिति में प्रति वर्ष	**15,000 रू०**
			91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अपंगता, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्धि (Mentally disorder) की स्थिति में प्रति वर्ष की स्थिति में प्रति वर्ष"	**20,000 रू०**

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1- श्रमिक द्वारा अपने आश्रित बच्चे की अपंग होने की प्रतिशतता, अन्धेपन (Blind) होने व मंदबुद्धि (Mentally disorder) होने का प्रमाण-पत्र District Medial Board द्वारा जारी किया हुआ आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2- आश्रित बच्चे का नाम श्रमिक के ई० एस० आई० कार्ड/राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए।

3- श्रमिक यह शपथ-पत्र देगा कि उसने अपने आश्रित बच्चे का संबंधित वित्तीय वर्ष में आवेदन करने से पूर्व उक्त योजना का लाभ नही लिया है।

4- श्रमिक प्रत्यके वर्ष आश्रित लाभ पात्र बच्चे का जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

5- श्रमिक यह भी प्रमाण-पत्र देगा कि आश्रित बच्चे का आय का कोई साधन नही है और वह शादीशुद्वा नही है।

20 औद्यौगिक राज्य में श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा राज्य में फरीदाबाद की भूंड कालोनी, 10 स्थानैं पर श्रमिकों की लड़कियों व उनकी महिलाओं को बिना किसी फीस के सिलाई कढ़ाई, बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण देने के लिए श्रम कल्याण केन्द्र चलाए जा रहे हैं ।

21 औद्यौगिक श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने बारे।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए जोनल स्तर तथा राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियागिताओं का आयोजन करवाया जाता है। आयोजन में प्रथम, द्वित्तीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले श्रमिकों को ईनाम भी दिये जाते है।

22 मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 1&1&2014 से औद्योगिक संस्थाओं में कार्यरत श्रमिकों की कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने या अपंग होने की अवस्था में ''मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना'' नामक योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत दी जाने वाली सहायता था पात्रता की

dk;LFky ij eR;q ;k vixrk dh Js.kh	वित्तीय सहायता की राशि
dk;LFky ij dk;Z djrs gq, eR;q gksus ij	ikp yk[k :i;s
dk;LFky पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत तक vixrk gksus ij	ipkl gtkj :i;s
dk;LFky पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत से अधिक vixrk gksus ij	,d yk[k :i;s

ik=rk d fy, fu/kkfjr 'krsa %&

1- erd Jfed dh dk;LFky ij gqbZ eR;q dh fLFkfr e iqfyl **F.I.R.** dh lR;kfir izfr] iksLVekVZe fjiksVZ dh lR;kfir izfr vkonu&i= d lkFk Hkstuh gksxh A

2 Jfed dh dk;LFky ij nq?kZVuk gksu dh fLFkfr e iqfyl **F.I.R.** dh lR;kfir izfr vkonu&i= d lkFk Hkstuh gksxh A

3- Jfed }kjk vkonu&i= d lkFk **Medical Board/E.S.I** }kjk tkjh vixता की प्रतिशतता के izek.k&i= dh lR;kfir izfr vkonu&i= d lkFk Hkstuh gksxhA

4- fo/kok@vkfJr dk b- ,l- vkb- dkMZ@b- ih- ,Q- के नोमिनेशन कार्ड की प्रति/राशन कार्ड की प्रति o Jfed dh eR;q dk izek.k&i= vkonu&i= d lkFk Hkstuk gksxk A

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के लिए जनवरी 2013, से निर्धारित आवेदन– पत्र

iR;d ;ktuk gr vkond lLFk

¼fu/kkfjr vkonu&i= d bykok fdlh vU; QkeV e vkonu ekU; ugh gkxk½
¼lHkh ;ktukvk d fy, lekU; dkye½

* vkofnr ;ktuk dk uke --

}kjk viuk Attested फोटो अवश्य fpidk,

1- vkond Jfed dk uke Jh[ ] dekjh[ ] Jherh[ ] ---

2. vkond d firk [ ] ifr [ ] dk uke [----] ---

3- Jfed d in dk uke ---

4- lLFkk dk uke o i.k irk tgk Jfed dk;jr gk ---

----

lLFkk@icU/kd viuk b&ey अवश्य लिखें--------------------------------------- दूरभाष@ekckby u0-------------------------------

5- Jfed dk dy ekfld oru ------------ ¼vkonu dh frfFk l io ekl ें सभी भत्तों समेत वेतन स्लीप संलग्न करना आवश्यक है)

6- Jfed dk i=kpkj gr i.k irk --- दूरभाष/दूरभाष ------------------------------

7- Jfed dh oreku lLFkk e Tokbfux frfFk ---

8- Jfed ckM d श्रम कल्याण निधि अंशदान का lnL; dc l g ---

9- D;k vkonudrk }kjk oreku e vkofnr ;ktuk dk igy ykHk mBk;k x;k g \

;fn gk rk i.k fooj.k n ---

Jfed@vkfJr dk cd [kkrk u0	बैंक की शाखा का पूर्ण पता	IFSC code of Bank	MICR code

¼ykHk yu l c/kh fofHkUu ;ktukvk d fy, vU; dkye½

1- dU;knku ;ktuk ½

शादी पंजीकरण का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

dU;k rFkk dU;k dh ekrk dk uke	oj dk uke rFkk oj d firk dk uke	शादी की तिथि	शादी पंजीकरण संख्या rFkk fnukd

d½ मै घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री विवाहित है। [fookfgr i=h dk lLFkk l Attested फोटो अवश्य fpidk,] ¼fookfgr i=h d gLrk{kj½ ¼Jfed d gLrk{kj½

2- vk|kfxd Jfedk dk lkbdy nu ckjs ;ktuk ½
d½ Jfed dh ftl lkbt d lkbdy dh ekx g ml vx vu|kj ¼ √ ½ fVd djs ¼20bp½ vFkok ¼22bp½

[k½ e घोषित djrk@djrh g fd eu ckM l vkt rd dkb lkbdy iklr ugh fd;k gA

¼vkond d gLrk{kj½

3- औद्योगिक महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन देने बारे योजना %

¼vkosnd efgyk d gLrk{kj½

4- vk|kfxd Jfedk dk **L.T.C.** d fy, foRrh; lgk;rk ;kstuk %

Jfed dk L.T.C. के आवेदन के प्रारूप में ब्लॉक व कलेम करने का व र्ष द र्शाना होगा तथा nlj ;k mld ckn d vkonu e ;g
स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि उसने पहले किस ब्लॉक में तथा किस वर्ग में L.T.C dk ykHk fy;k A

¼vkosnd d gLrk{kj½

5-6 Nk=ofRr ¼ 9th to onwards ½ rथा वर्दी/किताबें व स्टेशनरी आदि खरीदने की योजनाएं %

¼d{kk 1 l 4 o 5 l 8½ d fy,

d½ Nk=@Nk=k dk uke --

[k½ Nk=@Nk=k dh ekrk dk uke --

Nk=@Nk=k dk Ldy l Attested फोटो अवश्य fpidk,

पास की गई परीक्षा के अंकों का साक्षांकित प्रमाण–पत्र स्कूल/संस्थान के प्रिंसीपल/हैडमास्टर की मोहर सहित संलग्न करना आवश्यक है जिसमे अकैडमिक शैसन का विवरण स्पष्ट हो ।

i<kbZ tkjh j[ku dk प्रमाण–पत्र स्कूल/संस्थान के लैटर पैड पर प्रिंसीपल/हैडमास्टर द्वारा साक्षांकित करवा कर अवश्य संलग्न करें जिसमें वर्तमान कक्षा में पढ़ने का अकैडमिक शैसन लिखवाना जरूरी है ।

x½ मै घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री अविवाहित है। ¼Nk=@Nk=k d gLrk{kj½ ¼Jfed d gLrk{kj½

7- dk;LFky l ckgj fdlh Hkh dkj.k l n?kVuk e vixrk gku ij foRrh; lgk;rk ;kstuk %

d½ श्रमिक की दुर्घटना बारे ई0एस0आई0/सी0एम0ओ0 द्वारा अपंगता का प्रतिशत प्रमाण–पत्र जारी करने की frfFk ----------------
[k½ Jfed dh n?kVना में हुई अपंगता का प्रतिशत (lk{kkfdr iek.k&i= अवश्य lyXu dj½

8- महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता ;kstuk %

d½ ilfr] tUe dk iek.k&i= o Jfed dh iRuh gku dk iek.k&i= lkFk Hkstuk t:jh gA

[k½ lLFkk rFkk Jfed }kjk ;g iek.k i= nu gkxk fd Jfed dk ;g igyk ;k nljk cPpk g rFkk mlu ckM l igy doy ¼,d½ o ¼nk½ vFkok fdlh dk Hkh ugh ykHk fy;k g tk ykxw gk ml ij ¼ √ ½ djA

9 dk;LFky l ckgj fdlh Hkh dkj.k l Jfed dh eR;q gku ij erd Jfed dh fo/kok@vkfJrk dk foRrh; lgk;rk rFkk nkg lLdkj ;kstuk,

d½ fo/kok@vkfJr dk uke --

[k½ vkfJr d erd Jfed d lkFk D;k lEcU/k g ------------------ o eR;q frfFk --
x½ आश्रित द्वारा मृतक श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

¼fo/kok@vkfJr d gLrk{kj½

11-12- nkar डैंटल केयर के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं %

Jfed }kjk vk[k o nkar pkd djokus o i.kZ tcMk yxokus dh MkDVj dh iwLrdkIlu fjikVZ ftlesa fcekjh dk uke MkDVj }kjk l>k;k x;k bykt] bykt gsrq nokbZ;k dk o.kZu gks fd vfrfjDr nokbZ;k vkfn [kjhnus dk fcy MkDVj dh iwLrdkIlu fjikVZ ij rFkk fcyks ij MkDVj ds gLrk{kj ekgj lfgr djokdj dyse ds lkFk layXu djds HkstsA

13- vk|kfxd Jfedk d cPpk dk [ky&dwn ifr;kfxrkvk es Hkkx yus ij foRrh; lgk;rk ;kstuk %

Nk=@Nk=k }kjk [ky ifr;kfxrk es Hkkx yus rFkk ifr;kfxrk es çFkl çFke] f}rh;] rrh; LFkku çkIr djus vFkok dsoy Hkkxhnkjh dk [ky foHkkx }kjk tkjh iek.k&i= dh lk{kkfdr ifr Hkstuk आवश्यक है A

14- vk|kfxd Jfedk d cPpk dk lkLdfrd ifr;kfxrkvk es Hkkx yus ij foRrh; lgk;rk ;kstuk %

Nk=@Nk=k }kjk lkLdfrd ifr;kfxrk es Hkkx yus rFkk ifr;kfxrk es iklr iFke] f}rh;] rrh; LFkku iklr djus vFkok dsoy Hkkxhnkjh dk lkLdfrd foHkkx }kjk tkjh iek.k&i= dh lk{kkfdr ifr Hkstuk आवश्यd gS A

¼vkosnd Jfed@vkfJr ds gLrk{kj½

15-17- n?kVuk es egRoi.kZ vx xokus okys Jfedk o mudk vkfJrk dk df=e vx] Jo.k 'kfDr [kk pdk Jfedk o mudk vkfJrkdk Jo.k e'khu ;k hearing aids o vix Jfedk o mudk vkfJrk dk Try Cycle miyC/k djokus ckjs ;kstuk,%

d½ mDr rhuk ;kstukvk es MkDVjh iek.k&i=] vkfJr dh fLFkfr es Jfed ij vkfJr gkus ds iek.k&i= ds vfrfjDr Jo.k@मशीन, Try cycle vkj df=e vx [kjhnus ds fcy dyse ds lkFk Hkstus t:jh gS A

18- e[; eU=h Je iqjLdkj ;kstuk %

यह घोषित/प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरूद्ध कोई मोरल टर्पीच्यूड या अपराधिक मामला दर्ज नही है । आवेदक के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां भेजना आवश्यक है क्योंकि उक्त प्रमाणों ds vk/kkj ij vkosnd dk vkoVu fd;k tkuk gSA vkosnd dk eY;kdu Je iqjLdkj dh eY;kdu ifd;k ¼layXu½ es Hkkj fn;k x;k gS A

¼vkosnd Jfed@vkfJr ds gLrk{kj½ ¼lLFkk ds ikf/kdr vf/kdkjh ds gLrk{kj ekgj lfgr½

19- vk|kfxd Jfedk ds vix] vU/k rFkk encf) (Mentally disorder) cPpk dk foRrh; lgk;rk nus ckjA
आवेदन–पत्र क साथ अपंग होने की प्रतिशतता, अन्धे होने व मंदबुद्धि (Mentally disorder) होने का प्रमाण–पत्र

District Medical Board }kjk tkjh fd;k gvk lkFk Hkstuk t:jh gSA

¼vkosnd Jfed ds gLrk{kj½

20 e[; eU=h Jfed lkekftd lj{kk ;kstuk ds rgr Jfed@fo/kok@vkfJr dk foRrh; lgk;rk nus ckjsA

vkosnu&i= d lkFk Jfed dh dk;LFky ij eR;q dh fLFkfr es iqfyl F.I.R. dh lk{kkfdr ifr] iksLVekVe fjikVZ dh lk{kkfdr ifr b- ih- ,Q- नोमिनेशन कार्ड की प्रति/ई- ,l- vkbZ- dkMZ dh ifr lkFk Hkstuh gkxh A

Jfed d dk;LFky ij dke djrs oDr n?kVuk gkus dh fLFkfr es iqfyl F.I.R. dh lk{kkfdr ifr] Medical Board/E.S.I. द्वारा जारी अपंगता की प्रतिशतता के प्रमाण–पत्र की साक्षांकित प्रति आवेदन–पत्र के साथ भेजनी होगी ।

¼vkosnd Jfed @fo/kok@vkfJr ds gLrk{kj½

Jfed dh vMjVfdx

*मै घोषणा djrk gw@djrh gw fd vkonu&i= esa n'kkZ, x, rF; esjs Kku o fo'okl ds vuqlkj Bhd gSa rFkk blesa dqN Hkh Nqik;k ugha x;k gS A cgdkus ;k Nqikus d fdlh Hkh fLFkfr d ekeys esa esjs fo:) tSlk Hkh ekeyk gks vijk/kh ds rkSj ij Hkkjrh; naM lafgrk dh /kkjk 182] /kkjk 415] lg /kkjk 417 rFkk /kkjk 420 ds rgr esjs fo:) dkuuh dk;okgh dh tk ldrh g**A बोर्ड की योजना के अन्तर्गत यदि किसी कारणवश देय से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो मैं श्रम कल्याण बोर्ड को vf/kdkj nsrk gw fd og esjh lLFkk ds ek/;e ls vf/kd tkjh की गई राशि मेरे वेतन से कटौती करके अपनी भरपाई कर लेवें ।

¼vkonsd Jfed@vkfJr ds gLrk{kj½

lLFkk dh vkj ls vkonu&i= ds rF;k dk lR;kiu
iek.k&i=

çekf.kr fd;k tkrk gS fd Jh@Jherh@dqekjh--¼Jfed@Jfedk dk uke½ lqi=@lqi=h@iRuh Jh --bl lLFkk esa fnukad-------------------------ls ---------------------ds in ij dk;jr gS rFkk Jfed dk ekfld osru ¼lHkh HkRrk lfgr½----------------------------:0 gS o Jfed }kjk vkonu&i= esa nh xbZ lwpuk iz.kkf.kr;k lR; gS ,o बोर्ड़ की योजना की शर्तों अनुसार कवर होता है। श्रमिक की ज्वाईनिंग तिथि से संबंधित नियोक्ता के अंशदान समेत ————————रू0 अंशदान की राशि बोर्ड में जमा करवा दी गई है । Jfed }kjk mDr ykHk ds fy, dsoy ,d gh vkonu प्रस्तुत किया गया है । यदि किसी कारणवश श्रमिक को योजना के तहत देय राशि से अधिक राशि जारी हो जाती है तो अतिरिक्त अधिक राशि की रिकवरी श्रमिक के वेतन से करके श्रम कल्याण बोर्ड का cSd MªkQV ds ek/;e ls Hkst nh tk,xh A

¼lLFkk ds ikf/kdr vf/kdkjh ds gLrk{kj ekgj lfgr½

Je fujh{kd@Je fujh{kd ¼dY;k.k½ dh tkap
fjiksVZ

mDr vkonu&i= bl dk;ky; esa fnukad -------------------------dks Mk;jh uo0 --------------------d vUrxZr iklr fd;k x;k gSA vkonu&i= esa Jfed }kjk o lLFkk }kjk iLrqr fooj.k lLFkk fjdkMZ ls esjs }kjk futh rkSj ij lLFkk esa fnukad ------------------- dks tkap x;k rFkk tkap mijkr vkonu&i= esa of.kZr lHkh rF; Bhd ik, x,A अतः अनुदान देने की सिफारिश की जाती है। bl dk;ky; d fjdkMZ vuqlkj mDr ;kstuk d of.kZr ykHk grq Jfed }kjk dsoy ,d gh ikFkuk&i= iLrqr fd;k x;k gS ftldk bUnkt bl dk;ky; d Mk;jh jftLVj e dj fy;k x;k gS vkSj lLFkk us Jfed dk n; frfFk rd dk i.kZ vंशदान :0 --------------------श्रम कल्याण बोर्ड में भेजा हुआ है तथा उपरोक्त वर्णित केस योजना की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता है । यदि fdlh Lrj ij tkap esa esjs }kjk mDr rLnhd rF; xyr ik, x, rk mlls cksMZ dk gksus okys fdlh Hkh gkfu dh esjh iw.kZ ftEesokjh gksxh A

Je fujh{kd@Je fujh{kd¼dY;k.k½@
Je rFkk le>kSrk vf/kdkjh @dY;k.k vf/kdkjh ¼efgyk½
ds gLrk{kj uke o ekgj lfgr

ukssV :	(1) vU; dkye tks vkofnr ;kstuk ds fy, ykxw u gks mUgs u Hkjs A
	(2) Star column is most important

सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतू
(अग्रिम रसीद)

¼;kstuk dk uke½---ds ;kstuk&ykHk ds vUrxZr dY;k.k vk;qDr] gfj;k.kk ds }kjk Lohd`r :0 ¼vad es½-- dsoy :i;s

(शब्दों में)--की राशि मेरे द्वारा प्राप्त कर ली गई gSA

jktLo fVdV

lLFkk ds ikf/kd`r vf/kdkjh ds gLrk{kj
lR;kiu grq eksgj lfgr

Jfed@vkfJr ¼cPp½ dk uke ,oa
gLrk{kj rFkk iw.kZ irk

नोटः– पांच हजार रूपये से अधिक वित्तीय सहायता वाली योजनाओं में उक्त अग्रिम रसीद हेतू राजस्व टिकट वाले बाक्स में राजस्व टिकट पेस्ट करके उसके उपर लाभार्थी स्वये हस्ताक्षर करें।

Nk=ofRr rFkk onh@fdrkc o LV'kujh vkfn [kjhnu dh ;k tuk d rgr Ldy@dky t @VDuhdy
f'k{kk lLFkku@;fuofl Vh l tkjh iek.k&i= dk ik:i

iekf.kr fd;k tkrk g fd Nk=@Nk=k Jh@dekjh--
------ i=@i=h ¼ekrk rFkk firk nkuk dk uke½ --gekj lLFkku eभौक्षणिक सत्र वर्ष --e d{kk@leLVj e -- i< jgk@jgh gA Nk=@Nk=k dk jksy uEcj--है। छात्र/छात्रा द्वारा भौक्षणिक सत्र वर्ष -- e d{kk@leLVj--fcuk fdlh dEikVeV@fj&अपियर के शैक्षणिक सत्र वर्ष ------------------- d nkuk leLVjk e ikl fd;k x;k gA

स्कूल/कालेज/टैक्नीकल f ाक्षा
संस्थान/यूनिवर्सिटी d gM
ekLVj@fiUlhiy@lLFkku d i/kkukpk;l d
ekgj lfgr gLr{kkj

PRESCRIBED FORMAT FOR VALUATION OF SHARAM PURUSHKARS

(As for as possible valuation will be done on the basis of attached proofs)

Sr. No.	Subject of title	Max. marks allowed	Self assessment by the applicant	Assessment by the management	Marks awarded by DLC after verification	Marks awarded by Committee
1.	Annual attendance in previous calendar year	05				
2.	Contribution in increasing production	05				
3.	Exceptional act of bravery	04				
4.	Sequence of promotions during service period	03				
5.	Participation in sports at National / State Level	03				
6.	Higher Education achieved	03				
7.	First aid training and knowledge of industrial safety and fire fighting rules and contribution in this regard	02				
8.	Courses and Seminars attended during service period	02				
9.	Special incentive / increments / rewards given at management's level	02				
10.	Any special act of honesty / social work	02				
11.	Health condition	02				
12.	Discipline and devotion to duty	02				
	Total Marks	**35**				

(Signature of Applicant) (Authorised Signatory of Management) (Signature of DLC)

साईकल खरीद कर बिल के साथ भेजी जाने वाली श्रमिक की अण्डरटेकिंग

iekf.kr fd;k tkrk g fd e-- l i=@l i=h@iRuh@Jh-------------------------------------

lLFkk e l t---e ------------------------------------d in ij dk;jr g u fcy u0--fnukd---d rgr ub lkbdy e l t------------------ ----------------------------vf/kd r Mhyj l -- ब्राड की खरीद कर ली है जिसकी राशि रू0 ----------------------------g A lkbdy dk pfl t u0---gA ey fcy ftle Mhyj }kjk oV bR;kfn Hkh fy;k x;k g lkFk layXu djd Hktk tkrk gA

Jfed d gLrk{kj
i.k ir lfgr

----

lLFkk d vf/kdkjh d gLrk{kj ekgj lfgr

ukV % Jfed doy ikp czkM ¼dEifu;k½ ¼Atlas, Hero, Avon, Hercules & BSA) e l gh fdlh ,d कम्पनी का साईकल खरीदेगा यदि कोई श्रमिक दूसरे ब्रांड (कम्पनीं) का साईकल खरीदेगा तो उसको राशि की vnk;xh ugh dh tk,xh A Jfed lkbdy के मूल बिल पर वैरीफिकेसन हेतू अपने हस्ताक्षर आवश्यक करेगा।

अण्डरटेकिंग (प्रसूति योजना)

e -- l i= Jh --घोषणा करता हॅू कि मेरी पत्नी का uke Jherh--g rFkk ej ifjokj e tUe cPpk dk fooj.k fuEu idkj l g %&

dze l[;k	cPp dk uke	tUe frfFk
1-		
2-		

ej ifjokj e orZeku tUe cPp ler nk l T;knk cPp ugh g A

Jfed dk uke rFkk gLrk{kj

Jfed }kjk nh xbZ mDr tkudkjh fcYdqy lgh gA

lLFkk d ifrfuf/k d gLrk{kj
ekgj lfgr

<u>सिलाई मशीन खरीद कर बिल के साथ भेजी जाने वाली महिला श्रमिक की अण्डरटेकिंग</u>

iekf.kr fd;k tkrk g fd e-- lq=h@iRuh@Jh------------------------------------

lLFkk e lt--e ----------------------------------d in ij dk;jr g मैनें हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की योजना अनुसार नई मशीन डीलर मैसर्ज-- --ftldk fcy u0 ---fnukd --rFkk Jाशि रू0 -----------------------------g A ey fcy ftle Mhyj }kjk oV bR;kfn Hkh fy;k x;k g lkFk lyXu djd Hktk tkrk gA

Jfedk d gLrk{kj
i.k ir lfgr

----

lLFkk d vf/kdkjh d gLrk{kj ekgj lfgr

ukV % Jfedk doy ikp ckMk ¼dEifu;k¡ ¼**Merit, Laxmi, Usha, Singer & Zenith)** e l gh fdlh ,d कम्पनी की सिलाई मशीन खरीदेगी ;fn dkbZ Jfedा दूसरे ब्रांड (कम्पनीं) की सिलाई मशीन खरीदेगी rk og fcy ekU; ugh gkxkA Jfedा सिलाई मशhu d ey fcy ij ojhfQdlन हेतू अपने हस्ताक्षर आवश्यक djxh

नोटः— महिला श्रमिका को पूर्ण सेवा अवधि में सिलाई मशीन का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा ।

(डेन्टल केयर हेतू डाक्टर की प्रैसक्रिप्सन)

;g izek.k fd;k tkrk gS fd eSaus Jh@Jherh -- lqiq=@lqiq=h@iRuh Jh --M/s --- से दांतों के ईलाज जबड़ा लगवाने के लिए (सह अवश्य clear djs fd bZykt nkarks dk fd;k gS ;k tcMk replace fd;k gS½ ftlds fy, eSaus -------------------------------- :i;s izkIr fd, A

1- nkar

2- iw.kZ tcMk

Dated

Doctor Stamp with signature

(BDS)

हरियाणा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

एक परिचय

असंगठित क्षेत्र के भवन एंव अन्य सन्निर्माण कागगारों के नियोजन एंव कार्यदशाओं को विनियमत करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एंव सेव विनियम) अधिनियम, 1996 बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य के नियम दिनांक 29 मार्च, 2005 को अधिसूचित किए गए।

निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनायें बनाने व संचालित करने के उद्देश्य से हरियाणा भवन एंव सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 नवम्बर 2006 की अधिसूचना द्वारा किया गया है। इस बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनायें बनाई जाती हैं तथा राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् उन्हें लागू किया जाता है तथा निर्माण श्रमिकों के लिए अन्य लाभकारी उपाय भी किए जा रहे हैं।

बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से चलाई जा रही योजनाएं

दुर्घटना में तत्काल सहायता, 60 वर्ष की आयु होने पर पेन्शन, मकान बनाने के लिए ऋण/अग्रिम का भुगतान, बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता, गम्भीर बीमारी के लिए उपचार राशि, महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ, स्वास्थय बीमा योजना राष्ट्रीय स्वास्थय योजना के तर्ज पर पैतृक घर जाने के लिए किराए पर खर्च हुई राशि का भुगतान तथा साइकिल की खरीद पर खर्च की गई राशि का भुगतान इत्यादि सारी योजनाएं हैं।

भवन एंव अन्य निर्माण का क्र्या कया है?

भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (आरई.सी.एस.) अधिनियम, 1996 की धारा–2 (डी) के अनुसार भवन एंव अन्य निर्माण कार्य का अर्थ है–

1. भवन, सड़क मार्ग, रेलवे हबाई अड्डे का निर्माण,

2. सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, जल वितरण एंव निकासी तथा तटबन्ध निर्माण,

3. बिजली का उत्पादन, प्रेषण एंव वितरण कार्य,

4. तेल तथा गैस प्रतिष्ठान, बिजली की लाईन, बेतार, रेडियो, टेलिविजन, टेलिफोन, तार तथा विदेश संचार माध्यम,

5. बांध, नहर, तालाब, पुल, सेतु, जल सेतु, सुरंग, पाईप लाईन, टावर आदि के संबंध में निर्माण (Construction), परिवर्तन (Alteration), मुरम्मत (Repair), रख–रखाव (Maintenance), या तोड़ना (Demolition) शामिल है।

इसमें ऐसे अन्य कार्य भी शामिल होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ठ किया जायेगा।

परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य शामिल नहीं होंगे, जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हों।

निर्माण श्रमिक कौन हैं?

अधिनियम की धारा–22(ई) के अनुसार निर्माण श्रमिक से आश्य उस व्यक्ति से है–

- जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में शामिल हैंः
- शारिरिक, पर्ववेक्षण (सुपरवाईजरी), तकनीकी या लिपिकीय कार्य वेतन अथवा पारिश्रिमिक के लिए कार्य करता हो।

लेकिन इसमें प्रंबधक अथवा प्रशासक की हैसियत से कार्य करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है।

विशेष नोटः ठेकेदार तथा ईट, पत्थर, बजरी, रोड़ी, लोहा आदि निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति तथा स्वंय की पूंजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है।

पंजीकरण के लिए कौन पात्र है तथा इसकी प्रक्रिया .....

पंजीकरण हेतु पात्रता

लाभर्थियों के रूप में पंजीकरण कराने के लिए ऐसे सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे–

जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो,

जिसने पिछले 12 माह में 90 दिन या इस से अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, तथा

जो किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य न हो।

पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अधिकारी कौन है?

निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए बोर्ड की ओर से इस समय श्रम विभाग के सभी सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एंव स्वास्थ्य तथा सभी सहायक श्रम आयुक्तों तथा सभी श्रम निरीक्षकों को अधिकृत किया गया है।

पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?

कामगारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने हेतु अपना पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। लाभार्थी के रूप में पंजीकरण कराना बहुत सरल है। जो निर्माण श्रमिक पंजीकरण कराना चाहता है, उसे पंजीकरण आवेदन प्रपत्र संख्या प्रारूप V एंव VI भरकर, 25 रूपये आवेदन फीस एंव 5 रूपये मासिक अंशदान के साथ निमांकित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो कापी पंजीकरण अधिकारी को देंः-

1. अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हैः-

(क) किसी स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा

(ख) जन्म-मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र अथवा

(ग) किसी सरकारी अस्पताल के डाक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा

(घ) ड्राईविंग लाईसेंस

(च) मतदाता पहचान पत्र

(छ) आधार कार्ड

(ज) राशन कार्ड अथवा

(झ) भारतीय पासपोर्ट

(ट) पैन कार्ड

2. निर्माण श्रमिक होने कर प्रमाण पत्र।

यह प्रमाण पत्र नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी किया गया हो। ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर निम्न द्वारा दिया गया प्रमाण पत्रभी स्वीकार होगा-

(अ) पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघ द्वारा, या

(ब) संबधित क्षेत्र के सहायक निदेशक, औद्यौगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य या सहायक श्रम आयुक्त द्वारा, या

(स) पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा।

3. पासपोर्ट साईज के 3 रंगीन फोटोग्राफ।

- आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण के लिए बनाये गये आवेदन प्रपत्र में निर्माण श्रमिक होने के प्रमाण पत्र तथा नामांकन का प्रारूप भी

शामिल कर लिये गये हैं और पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र श्रम विभाग के सभी कार्यलयों में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

- पंजीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के विवरण से सन्तुष्ट होने तथा आवेदन शुल्क की रसीद जारी करने के पश्चात निर्माण श्रमिक का पंजीकरण किया जायेगा तथा उसे फोटोयुक्त परिचय परिचय पत्र जारी किया जायेगा।

- किसी भी पंजीकरण अधिकारी द्वारा किसी निर्माण श्रमिक का लाभर्थी के रूप में पंजीकरण का आवेदन संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बोर्ड के सचिव अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर निराकरण करा सकेगा।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं, सहायता राशि एवं निर्धारित शर्तें

1. मातृत्व लाभ योजना सहायता राशि : कुल 36,000 रूपये।

5,000 रूपये प्रतिमाह की दर से छः महीनों तक (प्रसव होने के 3 माह पूर्व से 3 माह बाद तक) तथा इसी अवधि के दौरान 1,000 रूपये प्रतिमाह, (कुल 6,000 रूपये) स्वास्थ्यवर्धक खुराक के लिए दिए जाएंगे।

पा़त्रताः 1. पंजीकृत महिला कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता

2. छः माह का प्रसव (सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र)

3. तीन किस्तों के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

4. मातृत्व लाभ अधिकतम दो प्रसव तक देय।

2. छात्रवृति योजना सहायता राशिः 3,000 से 15,000 रूपये प्रतिवर्ष

(पहली कक्षा से स्नातकोतर तक)

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. स्कूल/संस्था का प्रमाण पत्र।

3. कन्यादान योजना सहायता राशिः 51,000 रूपये

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. कन्या के विवाह का पंजीकरण पत्र।

4. अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता राशिः 2,000 रूपये प्रतिमाह

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. बच्चे की 50 प्रतिशत से अधिक 'शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम/अपंगता।

3. सरकारी चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र।

5. मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना सहायता राशिः 5,100 रूपये प्रतिवर्ष

महिला कामगार द्वारा साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़, मेट्रेसेज, बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि की खरीद पर प्रस्तुत बिल का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. सदस्यता के नवीनकरण के समय देय।

3. बिल की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।

6. चिकित्सा सहायता

सहायता राशिः 200 रूपये से 215 रूपये प्रतिदिन

किसी भी सरकारी हस्पताल में कम से कम 4 दिन एवं अधिक से अधिक 30 दिनों तक दाखिल रहने पर आर्थिक चिकित्सा सहायता

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार।

2. सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

7. स्वास्थ्य बीमा योजना सहायता राशिः 30,000 रूपये सालाना

स्वास्थ्य बीमा योजना, के पैटर्न पर कामगार अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की सरकारी हस्पतालों या पैनल में लिए गए प्राईवेट हस्पतालों में वर्ष में 30,000 रूपये तक का मुफ्त ईलाज की सुविधा।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार।

2. निदेशक ई.एस.आई.हैल्थ केयर द्वारा स्वास्थ्य कार्ड/स्मार्ट कार्ड जारी किया गया हो।

8. बच्चों की शादी पर सहायता राशि : 11,000 रूपये

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. बच्चे के विवाह का पंजीकरण पत्र।

3. कामगार की केवल दो बच्चों की शादी पर देय।

4. अपनी बेटी की शादी पर कन्यादान राशि 51,000 रूपये प्राप्त करने वाले कामगार इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

9. सिलाई मशीन योजना सहायता राशि : 3500 रूपये

बोर्ड द्वारा महिला कामगारों को सिलाई मशीन की खरीद पर, खर्च हुए 3500 रूपये तक का भुगतान।

पात्रता : 1. पंजीकृत महिला कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता 2. बिल की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।

10. साईकिल योजना सहायता राशि : 3000 रूपये

बोर्ड द्वारा कामगारों को साईकिल की खरीद पर खर्च हुए 3000 रूपये तक का भुगतान।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता

2. बिल की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।

3. यह सुविधा तीन वर्ष में एक बार उपलब्ध होगी।

11. मकान ख़रीद हेतु सहायता

सहायता राशि : 1,50,000 रूपये तक ऋण

बोर्ड द्वारा कामगारें को अपना घर खरीदने अथवा निर्माण हेतु व्याजमुक्त ऋण दिया जाता है।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता

2. अधिकतम उम्र 52 ताकि ऋण की अदायगी शेष 8 वर्षों में कर सके।

3. यह सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी।

12. औज़ार हेतु उपदान सहायता राशि : 5,100 रूपये

बोर्ड द्वारा कामगारों को अच्छे एवं सुविधाजनक टूल-किट खरीदने के लिए उपदान के रूप में।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता

2. यह सुविधा तीन वर्षो में एक बार उपलब्ध होगी।

13. पैंशन योजना सहायता राशि : 1,000 रूपये प्रति माह

बोर्ड द्वारा कामगारों को उनके उम्र के 60 वर्ष पुर्ण होने पर उनके द्वारा कुल जमा अंशदान वापिस करने साथ-साथ पय पैंयान राशि दी जाती है।

1. पंजीकृत कामगार की कम से कम तीन वर्ष की नियमित सदस्यता

2. यह पैंशन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी जाने वाली पैंशन के अतिरिक्त होगी।

14. पारिवारिक पैंशन सहायता राशि : 500 रूपये प्रति माह

पंजीकृत पैंशनभोगी कामगार की मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उनकी पत्नी/पति को यह पैंशन राशि दी जाती है।

पात्रता : 1. पंजीकृत कागगार पहले से पैंशन ले रहा हो।

2. पंजीकृत कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

15. अपंगता सहायता/पैंशन

सहायता राशि : 1 लाख रूपये से 2 लाख रूपये तक

पंजीकृत कामगार की किसी दुर्घटना अथवा बीमारी से स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता से प्रतिशतता के आधार पर एक मुश्त वित्तीय सहायता 1 से 2 लाख रूपये दी जाएगी एवं इसके अतिरिक्त उक्त कागगार को 300 रूपये प्रतिमाह पैंशन दी जाएगी।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार।

2. अपंगता की प्रतिशत के संबंध में सरकारी चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र।

16. श्रमिक की मृत्यु पर सहायता

सहायता राशि : 5,00,000 रूपये

पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर मुत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार के सदस्यों का यह सहायता दी जाती है।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार।

2. दुर्घटना के संबंध में एफ आई आर की प्रति।

3. मृतक कामगार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति।

4. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

पंजीकृत कामगार की साधारण मृत्यु पर 1,00,000 रूपये

1. पंजीकृत कामगार।

2. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

17. अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर

सहायता राशि : 1,00,000 रूपये

अपंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार के सदस्यों को यह सहायता दी जाती है।

पात्रता : 1. दुर्घटना के संबंध में एफ आई आर की प्रति।

2. मृतक कामगार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति।

3. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

4. नियोजक का प्रमाण पत्र।

18. दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

सहायता राशि : 15,000 रूपये

पंजीकृत कामगार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार के सदस्यों को यह सहायता दी जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार।

2. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

19. पैतृक घर जाने पर किराया

सहायता राशिः वास्तविक किराया

वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर किराए की भरपई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार की दो वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. क्लेम के साथ मूल यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य।

20. मुफ्त भ्रमण सुविधा

सहायता राशिः वास्तविक किराया

चार वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को प्रसिद्ध धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने पर किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार की दो वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. क्लेम के साथ मूल यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य।

21. सहायता अंशदान वापस

राशिः कुल जमा अंशदान

श्रमिक की 60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु होने पर उस द्वारा जमा करवाया गया अंशदान उसके नामित आश्रितों या कानूनी वारिस को वापिस दिया जाता है।

22. घातक बीमारियों की स्थिति में ईलाज के लिए आर्थिक सहायता राशिः 1,00,000 रूपये

पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के ईलाज के लिए यह सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार।

2. सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

3. ईलाज पर हुए खर्च राशि का मूल बिल प्रस्तुत करने पर।

अन्य सुविधाएँ

क) अस्थाई निवास सीानों/निर्माण स्थलों पर चलती-फिरती शौचालयों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ख) कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देख-भाल के लिए अस्थाई शिशुगृह की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ग) निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करवाने, मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने व महिला श्रमिक के बच्चों के लिए शिशुगृह की सुविधा प्रदान की जा रही है जिस के लिए इस समय श्रमिक कल्याण केन्द्र, मानेसर, सिकन्दरपुर (गुड़गांव) तथा एन.आई.टी.व ओल्ड फरीदाबाद में सीापित किए गए हैं। राज्य में अन्य स्थानों पर ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए राई तथा कुण्डली जिला सोनीपत में भूमि की खरीद की जा चुकी है तथा निर्माण प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ करने के लिए बोर्ड प्रयत्नशील है।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आज जी श्रम विभाग के सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थय के कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाएँ।

(आवेदन पत्र मुफ्त उपलब्ध हैं।)

पंजीकरण के लिए साथ में लाएँः-

1. तीन पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो

2. आयु प्रमाण पत्र

3. तीन महीने निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण पत्र

4. पंजीकरण फीस 25 रू० (एक बार) 5 रू०/माह अंशदान (तीन वर्षों का)

प्ंजीकरण की प्रक्रिया आसान करते हुए आयु प्रमाण पत्र के तौर पर ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाना पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट मे से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी एंव सहायक निदेशक कार्यालय का पता।

पंजीकरण हेतू आवेदन प्रारूप

1. आवेदक का नाम _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. स्थाई पता _____
   _____पिनकोड_____
4. वर्तमान पता _____
   _____मोबाईल न०_____
5. जन्म तिथि _____
6. आधार कार्ड संख्या _____
7. आवेदक के ब्रैंक क) खाता न० _____ ख)___
   खाते का ब्यौरा ग) _____
8. लिंग (पुरूष/ महिला) _____
9. वैवाहिक स्थिति _____
10. जाति श्रेणी (एस०सी०/एस०टी०/बी०सी०/ओ०बी०सी०/जनरल)
11. राशन कार्ड संख्या _____
12. आवेदक का ईएसआई/ईपीएफ क्रमांक (यदि कोई हो) _____
13. काम का विवरण (चिनाई मिस्त्री, मजदूर, पलम्बर, बढ़ई, पेन्टर अन्य कोई) _____
14. मासिक आय _____
15. आवेदक द्वारा कम से कम 90 दिन कार्य किये जाने का ब्यौरा

क्र सं.	निर्माण कार्य स्थल का पता	कार्य की प्रकृति	कार्य अवधि	नियोजक/ठेकेदार का नाम पता	केवल अंतिम नियोजक/ठेकेदार के हस्ता तथा टेलीफोन नम्बर

16. भवन निर्माण कार्य की कुल सेवा _____
17. क्या आवेदक किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है, यदि हां तो विवरण दीजिए _____
18. परिवार का विवरण–

क्र सं.	परिवार के सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आयु	आधार कार्ड न०	शिक्षा का स्तर	स्कूल/ कालेज का नाम व पता यदि पढ़ रहा/रही है

19 क्या आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य इस बोर्ड में पंजीकृत है यदि हॉ तो विवरण दीजिए–

नाम----------पंजीकरण संख्या----------

20 आयु प्रमाणीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न की जाती है ( )
(क) आधार कार्ड (ख) जन्म प्रमाण पत्र(ग) राशन कार्ड (घ) मतदाता पहचान पत्र (च) ड्राईविंग लाईसेंस (छ) पैन कार्ड
(ज) स्कूल प्रमाण पत्र (झ) पासपोर्ट
(उक्त में से कम से कम एक अनिवार्य है)

21 पजीकरण फीस रूपये 25 + ____ कुल……..रूपये

प्राप्ति रसीद न. /डी०डी० न ---------दिनांक------

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोतम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही है। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि बोर्ड को वापिस देने का वचन देता हूँ।

स्थान----------

दिनांक--------

आवेदक के हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान

<u>नामांकन प्रारूप</u>

नमाकिंत व्यक्तियों के नाम व पता	सदस्य के साथ सम्बन्ध	नंमाकित की उम्र	प्रत्येक नांमांकित व्यक्ति को दी जाने वाली % राशि

स्थान----------

दिनांक--------

भवन व अन्य संनिमार्ण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ----------पुत्र/पुत्री/पत्नी----
निवासी----------निर्माण कामगार के रूप में नियोजक----------
----------(नाम व पता) के निर्माण कार्य पर पिछले एक वर्ष की अवधि में---------दिनों तक कार्य करता रहा है/रही है/तथा वह निर्माण कर्मकार है।

स्थान----------
दिनांक--------

प्रमाणकर्ता का नाम, पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

(नियोजक/ठेकेदार/निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन/ग्राम पंचायत सचिव/पंचायत अधिकारी/नगर-पालिका/परिषद/निगम के कनिष्ठ अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकारी में से किसी एक से प्रामाणित करवाएं)

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी की जांच उपरान्त सन्तुष्ट होने पर पंजीकरण की स्वीकृति दी जाती है।

स्थान----------
दिनांक--------

पंजीयन अधिकारी का नाम,
पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

कार्यालय प्रयोग हेतू

राज्य कोड----------
जिला कोड----------
पंजीकरण संख्या आवंटित----------
पंजीकरण की तारीख----------

पंजीयन अधिकारी का नाम,
पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदकश्री/ श्रीमति----------पंत्र/पुत्री /पत्नी----------से आज दिनांक ----------डायरी न० ----------के तहत पंजीकरण हेतू फार्म व फीस----------रूप्ये (कैश/रसीद संख्या-------/डीडी संख्या----------) प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी का नाम,
पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कुछ विशिष्ठ कामगारों तथा बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों तथा कतिपय गैर – कोयला खान कामगारों के लिए कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन निधियों का प्रयोग श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण प्रावधानों अर्थात स्वास्थ्य देख– रेख, आवास, बच्चों के लिए शिक्षण सहायता, पेयजल की अपूर्ति इत्यादि के लिए किया जाता है ।

1. "असंगठित कामगार" को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत एक गृह–आधारित कामगार, स्व–नियोजित कामगारअथवा असंगठित क्षेत्र में एक मजदूरी लेने वाले कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2009-2010 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षत्रों में कुल 46.5 करोड़ लोग नियोजित थे। इसमें से लगभग 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र और शेष 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र के 4.4 करोड़ निर्माण में और शेष विनिर्माण कार्यकलाप,व्यापार और परिवहन, संचार एवं सेवाओं में नियोजित थे। बड़ी संख्या में असंगठित कामगार गृह आधारित श्रमिक हैं और बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, वस्त्र सिलाई तथा कशीदाकारी जैसे बरूवसाओं में लगे हुए हैं।

बहुत से विधान जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, ठेका शरम (प्रतिषेध एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996, इल्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी लागू हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतू श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 16.5.2009 से लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय नियम बना दिए गए हैं।

अधिनियम के अंतर्गत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 बनाये गए हैं तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का 18.08.2009 को गठन किया गया था। राष्ट्रीय बोर्ड असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य लाभों की सिफारिश करेगा। राष्ट्रीय बोर्ड की अब तक छः बैठकें हुई हैं और इन में असंगठित कामगारों की कतिपय श्रेणीयों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जन श्री बीमा योजना (जेबीवाई) और वृद्धावस्था पेंशन का विस्तार किए जाने की सिफारिश की गई है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही केन्द्रीय योजनाएं

सरकार ने सामूहिक बीमा योजनाएं प्रारम्भ की हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे या थोड़ा उपर के लोगों के लिए जन श्री बीमा योजना और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना , जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल हैं । कुछ रोजगारपूरक योजनाएं हैं, जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इत्यादि जिनसे असंगठित क्षेत्र के कामगार लाभाविन्त हो रहे हैं।

उपर्युक्त के अलावा, असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (पांच सदस्यों की ईकाई) के लिए **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना "** नामक स्वास्थ्य बीमा योजना औपचारिक रूप से 01 अक्टूबर 2007 को आरम्भ की गई थी। यह योजना 01 अप्रैल, 2008 से आरम्भ हो गई है और लाभार्थियों को योजना के अतर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल हैं :

लाभार्थी प्रतिवर्ष प्रति परिवार को फैमिली पलाटर आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित नकद भुगतान रहित 30,000/- रूपये को स्वास्थ्य व बीमा कवर के हकदार हैं ।

- पहले से विद्दमान सभी रोग शामिल हैं।
- अस्पताल में भर्ती संबधी व्यय की कवरेज प्रसूति लाभ सहित
- प्रति दौरा 100/. रूपये आने–जाने का व्यय।

18-59 वर्ष के बीच के आयु के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु और अपंगता कवर प्रदान करने की दृष्टि से 2.10.2007 को "आम आदमी बीमा योजना" भी आरम्भ की गई है । योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया या परिवार के एक कमाने वाले सदस्य का बीमा किया जाएगा । केन्द्र सरकार 200/- रूपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति का प्रीमियम का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा इस योजना के लाभों में स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/- रूपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अस्थाई अपंगता दुर्घटना में (दोनों आंखे या दो अंग या एक आंख और एक अंग खो देने पर) के मामले में 75,000/- रूपये का भुगतान शामिल है। आंशिक स्थाई अपंगता (दुर्घटना में एक आंख या अंग की हानी होने पर) के मामले में 37,500/- रूपये का बीमा कवर होगा। इस योजना में लाभार्थी को 9 वीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए 300/- रूपये प्रति तिमाही प्रति बच्चे की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लाभ की भी

संकल्पना की गई। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत, 4.80 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उसकी सेवानिवृत्ति हेतू स्वेच्छा से बचत करने तथा इन अभिदाताओं के लिए नयीं पेंशन योजना (एनपीएस) के संचालन की लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 26.09.2010 को "स्वावलंबन" नामक सह अंशदान पेंशन योजना शुरू की है। भारत सरकार प्रत्येक पात्र एनपीएस अभिदाता के लिए जो स्वालंबन योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1000/- रूपये तथा अधिकतम 12000/- रूपये वार्षिक का अंशदान करती है। 1000/- रूपये का अंशदान करती है। 1000/- रूपये की दर से अंशदान 2012-13 तक खोले गए सभी खातों के लिए वर्ष 2016-17 तक पांच वर्षों के लिए उपलब्ध है। इस योजना से वर्ष 2016-17 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 70 लाख कामगारों के लाभाविन्त होने की संभावना है। 10.11.2012 तक "स्वालंबन" के अन्तर्गत 11.29 लाख से अधिक नामाकन किए जा चुके हैं।

<u>अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979</u>

इस अधिनियम का उददेश्य अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के नियोजन को विनियमित करता है तथा इसमें उनकी सेवा शर्तों का प्रापवधान किया गया है। यह अधिनियम उस प्रत्येक स्थापना (और ठेकेदार) पर लागू होता है जिसमें पांच अथवा अधिक अंन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार नियोजित हों। अधिनियम में प्रत्येक अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार के लिए पास बुक जारी करने का प्रावधान है जिसमें विस्थापन भत्ते की अदायगी जो मासिक वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर अथवा 75 रूपये, जो भी ज्यादा हो, यात्रा भत्ते की अदायगी, जिसमें यात्राा अवधि के दौरान वेतन की अदायगी शामिल है, रहने का समुचित स्थान, चिकित्साा सुविधा, रक्षात्मक वस्त्र, वेतन का भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि का पूरा व्यौरा दिया गया हो। केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रर्वतन की मुख्य जिम्मेदारी क्रमशः केन्द्र और संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों की है।

प्रवास की समस्या को विधि कार्यवाईयों जैसे ग्रामीण विकास द्वारा उन्नत ढांचागत सुविधाओं के प्रावधानों से क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए साधनों समान वितरण, रोजगार के सृजन,भूमि सुधार , साक्षरता बढ़ाने वित्तीय सहायता आदि से रोका जाना चाहिए। राज्य स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसरों के सृजन हेतू सरकार ने स्वर्णजंयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एसजीएसवाई), राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एन एफ एफडब्लू यूपी), ईन्दरा आवास योजना (आईएवाई) एकीकृत प्रति भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्लूयूपी, सूखा संभवित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) आदि जैसी अनेक योजनाऐं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की रोजगार गारन्टी हेतू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम भी अधिनियमित किया है।

6. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार

असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सबसे बड़ी श्रेणी निर्माण में लगे कामगारों की है। 2009-2010 में एन एस एस ओ द्वारा किए गए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 4.46 करोड़ कामगार निर्माण कार्यकलापों में लगे हैं। सरकार ने निर्माण कामगारों के लिए निम्नलिखित दो विधान अधिनियमित किये हैं–

- **भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (रोजगार तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996.**
- **भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996.**

	की जाएगी			
4	श्रमिकों का एल० टी० सी० की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।	5 वर्ष	10,000 रू०	1000 रू०
5	कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना	1 वर्ष	20,000 रू०	कम से कम 4000 रू० तथा अधिक से अधिक 15000 रू०
6	श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे	2 वर्ष	20,000 रू०	क) पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक 2000 रू० पंचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक 3000 रू०
7	महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता उपलध कराने बारे	1 वर्ष	20,000 रू०	7000 रू०
8	कामगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर सहायता वित्तीय सहायता	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	20,000 रू	क) 50%तक की अपंगता 20,000 रू० ख) 50% से उपर की अपंगता 30,000 रू०
9	श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर / जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता देने बारे	एक वर्ष	20,000 रू	क) डैन्टल केयर 2000 रू० ख) जबड़ा लगवाने 5000 रू०
10	मृतक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक मदद	छः मास	20,000 रू	1000 रू
11	श्रमिक की मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे	छः मास	20,000 रू	15,000 रू
12	श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	20,000 रू	1000 रू से 10,400 रू० तक
13	श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	20,000 रू	1,000 रू से 10,400 रू० तक
14	कामगारों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना	एक वर्ष	20,000 रू	1,000 रू तक
15	किसी भी दुर्घटना में	एक वर्ष	20,000 रू	साकेत हस्पताल,

	अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे			पंचकुला की दरों अनुसार
16	किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन **hearing aids** हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे	एक वर्ष	20,000 रू	3,000 रू तक की श्रवण मशीन
17	टपंग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को तिपहीया साईकल (Try cycle) उपलब्ध करवाने बारे	एक वर्ष	20,000 रू	तिपहीया साईकल के लिए, 5,000 रूपये तक की राशि
18	मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना	तीन वर्ष	20,000 रू	20,000 रू से 1 लाख रूपये तक के पुरूस्कार
19	राज्य में श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना	कोई भी सेवावधि निर्धारित नहीं है	कोई भी वेतन सीमा निर्धारित नहीं है	श्रम कल्शण केन्द्रों में श्रमिकों की लड़कियों व उनकी महिलाओं को बिना किसी फीस के प्रशिक्षण दिया जाता है
20	श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे।	–तदैव–	–तदैव–	70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) की स्थिति में 15,000 रूप्ये प्रतिवर्ष 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की स्थिति में 20,000 रूपये प्रतिवर्ष
21	श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने बारे।	–तदैव–	–तदैव–	श्रमिकों के लिए प्रति वर्ष जोनल स्तर और राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है और विजेता खिलाड़ियों को ईनाम की राशिव ट्राफी प्रदान की जाती है।

22	मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	–तदैव–	–तदैव–	मुख्य मन्त्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दिनांक 1.1.2014 से औद्यौगिक श्रमिकों की कार्यस्थल पर काम करते वक्त मृत्यु होने पर 5 लाख रूप्ये तथा विकलांगता होने की अवस्था में 50,000 रूपये से 1,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता।

योजनाओं का पूर्ण विवरण

1. कामगारों की लड़कियों तथा संबंधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के उत्सव पर कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता योजना

यह योजना रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2002 में आरंभ की गई थी। श्रमिक वर्ग की लड़कियों संबधित संस्था में स्वयं कार्यरत महिला की शादी के शुभ अवसर पर वित्तीय सहायता देने के उददेश्य से कन्यादान नामक योजना संचालित की गई थी जिसके अर्न्तगत कन्या का विवाह होने पर कन्यादान स्वरूप 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 23.2.2015 से उक्त योजना का लाभ 2 कन्याओं से बढ़ाकर 3 कन्याओं तक विवाह हेतू दिया जायेगा। इस योजना के लागू होने से एक तो लड़की को समाज में बोझ नहीं माना जायेगा तथा लड़के–लड़की के भेदभाव को भी कुछ सीमा तक कम किया जा सकेगा। इस सहायता का कामगार द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आर्थिक सहायता पर कोई प्रभाव **निर्धारित शर्तेः–**

1. श्रमिक द्वारा आवेदन–पत्र के साथ लड़की की शादी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र देना होगा।
2. श्रमिक लड़की की शादी के उपरांत 6 मास के अन्दर–अन्दर आवेदन प्रस्तुत करेगा।
3. कन्यादान की राशि का चैक/ड्राफट लड़की के पिता /माताके पक्ष में भेजा जायेगा।
4. कामगार एक अंडरटेकिंग देगा जिसमें उस द्वारा आवेदित कन्या की शादी हेतू कन्यादान की राशि बोर्ड से पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार अथवा पहले कभी न लेने बासरे स्पष्ट वर्णन करना होगा।

2. श्रमिकों द्वारा नयी साईकल खरीदने पर उसकी भरपाई करने बारे

यह योजना श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। 10,000 रूपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों को उनके निवास स्थान से संस्था तक डयूटी पर आने जाने के लिए श्रमिक द्वारा एटलस, एवन, हीरो, हरकुलिस व बी०एस०ए० ब्रांड में से किसी एक ब्रांड की साईकल खरीदने उपरान्त 3000 रूप्ये (तीन हजार) तक की या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की भरपाई की जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. श्रमिक द्वारा एटलस, एवन, हीरो, हरकुलिस व बी एस ए ब्रांड में से किसी एक ब्रांड की साईकल खरीद कर मूल बिल साथ भेजना होगा।

2. श्रमिक को साईकल पूर्ण सेवा काल में केवल एक बार ही दी जाएगी।

3. संस्था द्वारा जारी श्रमिक का आई डी प्रुफ आवेदन के साथ भेजना होगा।

3. <u>महिला श्रमिकों को हरियाणा श्रमक ल्याण बोर्ड की तरफ से सिलाई मशीन खरीदकर देने बारे।</u>

हरियाणा कल्याण बोर्ड द्वारा औद्यौगिक व कमर्शियल संस्थओं में कार्यरत महिला श्रमिकों के घरेलू उपयोग हेतू महिला श्रमिकों को अपने स्तर पर ब्रांडिड कम्पनियों (Merit, Laxmi, Sanger, Usha & Zenith) में से कोई ऐ ब्रांड की कम्पनी की सिलाई मशीन खरीदने पर 3500 रूपये अथवा सिलाई मशीन की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. सिलाई मशीन पूर्ण सेवाकाल में एक बार प्रदान की जायेगी।

2. संस्था द्वारा जारी श्रमिका का आई.डी. पुर्फ आवेदन के साथ भेजना होगा।

1. <u>औद्यौगिक श्रमिकों को L.T.C. की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।</u>

इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा कल्याण कल्याण बोर्ड द्वारा औद्यौगिक व कमर्शियल संस्थानों के श्रमिकों के लिए 1000 रूपये की राशि L.T.C. स्वरूप दी जलाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. इसके अन्तर्गत श्रमिक को 4 वर्ष के ब्लाक में एक बार 1000 रूपये की राशि L.T.C. दी जायेगी।

2. श्रमिक को यह शपथ-पत्र देना होगा कि उसने संबधित ब्लॉक में पहले कोई L.T.C. का राशि नहीं ली है।

3. प्रथम ब्लाक वर्ष 2012-2015 का माना जायेगा।

1. <u>कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1976 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उददेश्य श्रमिकों के बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतू वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दिनांक 23.2.2015 से परीक्षा पास करने पर (चाहे परीक्षा न्यूनतम नम्बरों से भी पास की गई हो) व अगली परीक्षा में पढ़ाई जारी करने पर श्रमिकों की 3 लड़कियों तथा 2 लड़कों तक विभिन्न कक्षाओं में निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति की राशि दी जायेगी हैः-

पढ़ाई जारी रखने की कक्षा	लड़कों के लिए प्रस्तावित राशि	लड़कियों के लिए प्रस्तावित राशि
9 वीं से 10 वीं	4000	6000

11 वीं से 12 वीं	4500	6750
lHkh izdkj dh Lukrd fMfxz;ksa rd ds izR;sd वर्ष ds fy,	5000	7500
lHkh izdkj dh baftfu;fjax fMxzh ch0 QkesZlha ds izR;sd वर्ष ds fy,	7000	10500
ikyVSdfudy fMIyksek lh0,0 Mh0 Qzkeslh ,0,u0,e0] th0 ,u0 ,e0 rFkk vU; vaMjxzsT;q,V fMIyksek rd ds izR;sd वर्ष ds fy,	6000	9000
vkbZ0Vh0vkbZ fMIyksesa ds izR;sd वर्ष ds fy,	500	7500
lHkh izdkj dh Lukdksrj fMfzx;ksa@fMiyksesa ch0,l0lh0 uflZax ds izR;sd वर्ष ds fy,	600	9000
lHkh izdkj dh esMhdy fMfzxz;kas ¼e0ch0ch0,l] ch0Mh0,l]ch0,0,e0,l vkfn ds izR;sd वर्ष ds fy,	10000	15000

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें :–

1. इस योजना के लाभ हेतू आवेदन–पत्र बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में संबधित सत्र में प्रस्तुत व अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है।। 31 दिसम्बर के बाद की तिथि में प्रस्तुत केसों पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. यदि किसी श्रमिक का बच्चा और संस्था सो भी छात्रवृत्ति ले रहा है तो वह भी योजना का लाभ ले सकता है।

3. यदि कोई छात्र झूठा प्रमाण पत्र देकर छात्रवृत्ति प्राप्त करता है तो उसको भवि"य में कभी भी छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी और दी गई छात्रवृत्ति की राशि वापिस ले ली जायेगी।

4. जो दा स्वयं रोजगार या नौकरी पर हैइस स्कीम के तहत कवर नही होंगे।

5. श्रमिकों के वे बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देते हैं और पुनः पढ़ाई जारी रखते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिकों के जो बच्चे हरियाणा राज्य से बहार पढ़ाई जारी रखे हुए हैं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

6. रि–अपियर/कम्पार्टमैन्ट आने पर छात्र/छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे।

2. श्रमिकों की लड़कियों के लिए पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियां आदि खरीदने हेतू वित्तिय सहायता उपलब्ध कराने बारे।

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों की लड़कियों को पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, पाठय पुस्तकें तथा कापियों आदि के लिए प्रवेश के समय एकमुश्त वित्तिय सहायता प्रदान की जाती हैः-

क्रम संख्या	कक्षा का नाम	दी जाने वाली राशि
1	पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर।	2000 रूपये
2	पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर।	3000 रूपये

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. उक्त योजना का लाभ श्रमिक की केवल तीन लड़कियों तक उपलब्ध करवाया जाएगा।

2. लड़की की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण-पत्र स्कूल के प्रिंसीपल/हैडमास्टर से स्कूल के लैटर पैड पर बनवाकर देना होगा।

3. श्रमिक द्वारा राशन कार्ड/ई०एस०आई० की फोटो प्रति आवेदन के साथ देनी होगी जिसमें लड़की के नाम का उल्लेख हो।

4. संबधित सैशन में आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर के बाद प्रस्तुत केसों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. <u>महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रस्तूति पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u>

यह योजना तल ेयाण बोर्ड द्वारा व"र्ा 2009 में आरंभ की गई थी। सभी औद्योगिक व कमर्शियल संस्थाओं की महिला श्रमिकों तथा पुरू"ा श्रमिकों की पत्नियों को दो बच्चों तक पैदा होने पर प्रसूति हेतू 7000 रूपये वित्तीय संहायता का लाभ दिया जाता है, दिनांक 23.3.2015 से उक्त योजना में महिला श्रमिकों तथा पुरू"ा श्रमिकों की पत्नियों को तीन लड़कियों तक पैदा होने तक प्रसूति योजना का लाभ दिया जाता है।

<u>पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-</u>

1. बच्चा होने की तिथि से छः मास के अन्दर-अन्दर आवेदन करना होगा।

2. श्रमिक द्वारा अपनी पत्नी होने का प्रमाण देना होगा।

3. बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र देना होगा।

3. <u>औद्योगिक कमगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होने पर सहायता वित्तीय सहायता</u>

यह योजना व"र्ा 1992 में आरंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत उन औद्योगिक कामगारों को जिनकी डियूटी के दौरान या अन्य किसी भी कारण से कार्यस्थल से बहार दुर्घटना में अपंगता हो जाती

है तो उन्हें मेडीकल बोर्ड/ई०एस०आई० द्वारा अपंगता प्रमाण–पत्र के जारी होने की तिथि से एक व"र्ा के अन्दर–अन्दर आवेदन करने पर प्रतिशतता के आधार पर निम्न प्रकार से सहायता दी जाती हैः–

क्रम संख्या	अपंगता की श्रेणी	वित्तीय सहायता की राशि
1.	Minor disability (50% तक की injury)	2000 रू०
2.	Minor disability (50% से ऊपर की injury)	3000 रू०

अपंग श्रमिक यह अंडरटैकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया।

5. <u>श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डैन्टल केयर/जबड़ा लगवाने हेतू वित्तीय सहायता देने बारे।</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। उक्त योजना के अर्न्तगत डैन्टल केयर हेतू 2000 रूपये अथवा डेन्टल केयर के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने तथा पूर्ण जबड़ा (**Full denture**) लगवाने पर श्रमिक को 5000 रूपये अथवा जबड़े के वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः–

1. Dentist की prescription तथा दवाई खरीदने का बिल कलेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2. iw.kZ tcM+k yxokus gsrw Dentist की prescription तथा Dentist से खर्च का बिल स्प"ट लिखावाकर तथा बिल पर Dentist के हस्ताक्षर मोहर सहित करवाकर कलेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3. vkosnu MsaVy ds;j vFkok tcM+k yxokus dh Dentist की prescription तथा बिल की तिथि के तीन मास के अन्दर–अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

4. Jfed ;g 'kiFk&i= nsxk fd mlus vkosffnr ;kstuk dk ykHk igys dHkh ugha fy;k gSA

4. <u>मृतक औद्यौगिक कामगारों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक मदद।</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1976 में चलाई गई थी। इसके अंर्तगत श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर उसकी विधवा या आश्रित को वित्तीय सहायता की राशि 1,00,000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तें :–

1. विधवा का आवेदन पत्र उसके पति की मृत्यु के दो व"र्ा के अन्दर–अन्दर क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालय में प्राप्त होना चाहिए।

2. नियोक्ता श्रमिक की मृत्यु होने का प्रमाण–पत्र देगा तथा जन्म मृत्यु प्रमाण –पत्र भी साथ लगाना आवश्यक होगा।

3. मृतक श्रमिक पर आश्रित, यह शपथ-पत्र देगा/देगी तल े मृतक पर पूर्ण रूप से कानूनी तौर पर आश्रित तथा उसने पहले बोर्ड की उक्त योजना का लाभ नहीं उठाया है।

4. विधवा/आश्रित को राशन कार्ड/ई०एस०आई कार्ड/बोटर कार्ड/आधार कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

11. <u>श्रमिक की कार्य सील से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने बारे</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक की कार्य सील से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर दाह संस्कार व अन्य आवश्यक क्रियाक्रम हेतू मृतक श्रमिक की विधवा पत्नी या आश्रित को 15000 रूपये की वितिय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

प़ात्रता के लिए निर्धारित शर्ते :-

1. उक्त योजना की सभी शर्ते तथा आवेदन-पत्र मृतक औद्यौगिक श्रमिक की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता योजना की भांति होगी अर्थात इस योजना हेतू अलग से कोई प्रमाण-पत्र इने आवश्यक नहीं हैं।

5. <u>श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे।</u>

श्रमिकों के बच्चों की खेल के क्षेत्र में भाग लेने पर हरियाणा तल ेयाण बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार ईनाम के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है, ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर कर अपनी प्रतिभा दर्शा सकें।

खेल प्रतियोगिताएं	**जिला स्तरीय प्रतियोगिता**	**मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता**	**राज्य स्तरीय प्रतियोगिता**	**रा"ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता**	**अर्न्त रा"ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता**
(क) सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	1000 रू०	2000 रू०	3000 रू०	4000 रू०	5000 रू०
(ख) सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान लेने पर।	1200 रू०	2200 रू०	3200 रू०	4200 रू०	5200 रू०
(क) व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	2000 :0	4000 :0	6000 :0	8000 :0	10000 :0

(ख) व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान लेने पर।	2400 :0	4400 :0	6400 :0	8400 :0	10400 :0

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में भाग लिया गया है का प्रमाण-पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित करवा कर भेजना होगा।

2. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक व्यक्तिगत या सामुहिक खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान प्राप्त किया गया है का प्रमाण-पत्र जिला खेल अधिकारी से साक्षांकित करवा के भेजना होगा।

3. श्रमिक यह प्रमाण पत्र देगा कि भाग लेने वाला खिलाड़ी उस पर आश्रित है।

4. आवेदन खेलों में भाग लेने का सर्टिफीकेट जारी होने की तिथि से एक व"ा के अन्दर-अन्दर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

5. राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

6. <u>श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा को विकसित करने बारे।</u>

श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में भाग लेने पर हरियाणा तल`याण बोर्ड की तरफ से निम्न तालिका अनुसार उन्हें ईनाम के तौर पर एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है, ताकि श्रमिकों के बच्चे भी अच्छे कलाकार के रूप में उभर कर अपनी प्रतिभा दर्शा सकें।

सांस्कृतिक प्रतियोगिता का नाम	जिला स्तरीय प्रतियोगिता	मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता	रा"ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता	अर्न्त रा"ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता
(क) सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	1000 रू०	2000 रू०	3000 रू०	4000 रू०	5000 रू०
(ख) सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत	1200 रू०	2200 रू०	3200 रू०	4200 रू०	5200 रू०

आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान पर प्राप्त करने पर।					
(क) एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर।	2000 रू०	4000 रू०	6000 रू०	8000 रू०	1000 रू०
(ख) एकल नृत्य प्रतियोगिता प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान प्राप्त करने पर।	2400 रू०	4400 रू०	6400 रू०	8400 रू०	10400 रू०

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक एकल या सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लिया उसका प्रमाण-पत्र जिला सांस्कृतिक अधिकारी से साक्षांकित करवा कर भेजना होगा।

2. छात्र/छात्रा द्वारा जिस स्तर तक एकल या सामुहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय सीान पर प्राप्त किया उसका प्रमाण-पत्र जिला सांस्कृतिक अधिकारी से साक्षांकित करवा के भेजना होगा।

3. श्रमिक यह प्रमाण पत्र देगा कि भाग लेने वाला बच्चा उस पर आश्रित है।

4. आवेदन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का सर्टिफीकेट जारी होने की तिथि से एक व"र्ा के अन्दर-अन्दर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

5. राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

14. <u>औद्योगिक कामगारों को चश्मों के लिए वित्तीय सहायता देना।</u>

यह योजना कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। हरियाणा कल्याण द्वारा उन औद्योगिक श्रमिकों को जिनकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है उन्हें 1000 रूपये तक की राशि के चश्में खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है। यदि चश्में की कीमत 1000 रूपये से कम होगी तो चश्में की वास्तविक कीमत श्रमिक को अदा की जाएगी तथा इस योजना का लाभ श्रमिक या उसके आश्रित को दिया जाता है।

पात्रता के लिए निर्धरित शर्तेः-

1. प्रार्थी को आवेदन–पत्र के साथ डाक्टरी प्रमाण–पत्र तथा चश्में खरीदने का बिल/रसीद भेजनी होगी।

2. श्रमिक अंडरटैकिंग देगा कि उसने आवेदित योजना का लाभ पहले कभी नहीं लिया।

3. डाक्टर की प्रेसकिप्शन उपरांत चश्मा खरीदने के बिल की तिथि से तीन मास के अन्दर–अन्दर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

4. श्रमिक के परिवार के सदस्य/आश्रित हेतू आवेदन करने के लिए आवेदन के साथ श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण देना होगा जैसे राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति।

7. किसी भी दुर्घअना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृतिम अंगों हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे।

यह योजना श्रम बोर्ड द्वारा वर्ष 12.02.2009 में आरंभ की गई थी। उन सभी औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों जिनका अंशदान बोर्ड में जमा होता है में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को महत्वपूर्ण अंगो के गंवा देने पर कृत्रिम अंग, साकेत हस्पताल, चण्डीमन्दिर (पंचकूला) द्वारा निर्धारित दरों तक की राशि की वित्तिय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः–

1. डाक्टर की prescription तथा कृतिम अंग खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।

2. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है।

3. अपंगता का साक्षांकित प्रमाण–पत्र साथ भेजना होगा।

8. किसी भी कारण से अपनी श्रवण शक्ति खो चुके श्रमिकों व उनके आश्रितों को श्रवण मशीन या hearing aids हेतू वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बारे।

यह योजना श्रम बोर्ड द्वारा वर्ष 12.02.2009 में आरंभ की गई थी। उन सभी औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों जिनका अंशदान बोर्ड में जमा होता है में कार्यरत श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी श्रवण शक्ति खोने पर श्रवण मशीन या hearing aids खरीदने हेतू 3000 रूपये अथवा श्रवण मशीन (hearing aids) की वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः–

1 श्रमिक डाक्टर की prescription तथा श्रवण मशीन या hearing aids खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।

2 आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित हैव राशन कार्ड की साक्षांकित प्रति साथ भेजनी होगी।

3 श्रवण शक्ति खोने का प्रमाण–पत्र साथ भेजना होगा।

9. अपंग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को Try Cycle उपलब्ध करवाने बारेः-

यह योजना श्रम बोर्ड द्वारा वर्ष 2009 में आरंभ की गई थी। हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल ईकाईयों में कार्यरत श्रमिकों व उनके आश्रितों को किसी भी दुर्घटना में या अन्य कारण से अपनी टांगे गवाने पर **Try Cycle** उपलब्ध करवाने हेतू 5000 रूपये या वास्तविक कीमत में से जो भी कम हो श्रमिक को उपलब्ध करवायी जाती है।

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः-

1. श्रमिक **Try Cycle** खरीदने का बिल अपने कलेम के साथ प्रस्तुत करेगा।

2. आश्रित की स्थिति में श्रमिक द्वारा यह प्रमाण देना होगा कि जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है वह उस पर आश्रित है व राशन कार्ड की साक्षंकित प्रति साथ भेजनी होगी।

3. अपंगता का प्रमाण-पत्र साथ भेजना होगा।

18. मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार योजना।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के सम्मान हेतू उत्तम कामगार को मुख्य मन्त्री श्रम पुरस्कार प्रदान करने संबंधी योजना वर्ष 2002 से संचालित की जा रही है। यह पुरस्कार प्रदेश के उन कामगारों को दिया जाता है जो उच्च कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। पुरस्कृत करने से जहां श्रमिक की पहचान सीापित होती है वहीं सहयोगी कामगारों को भी इस प्रकार का कार्य करने हेतु प्रेरेणा मिलती है। इससे प्रदेश में औद्योगिक शान्ति को भी बल मिलता है। यह पुरस्कार पुरूषों के साथ-साथ महिला श्रमिकों को भी दिए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से पुरस्कार देने की व्यवस्था हैः-

क्रम संख्या	पुरस्कार का शी"र्क	पुरस्कार की राशि	पुरस्कार की संख्या
1.	मुख्य मन्त्री श्रम रत्न पुरूस्कार	1,00,000 रू०	पूर्ण राज्य में केवल एक
2.	gfj;k.kk Je Hkw"k.k iq:Ldkj	50,000 रू०	पूर्ण राज्य में केवल दो
3.	gfj;k.kk Je ohj iq:Ldkj	20,000 रू०	पूर्ण राज्य से इक्कीस
4.	gfj;k.kk Je ohjkaxuka iq:Ldkj	20,000 रू०	पूर्ण राज्य से इक्कीस

उक्त पुरस्कारों हेतू अंकों का माप दण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया हैः-

Sex	Maxmum Prescribed	% age of prescribed	Minimum marks for

	marks	marks	eligibility
Male	35	45%	15.75 say 16
Female	35	40%	14
Handicapped male	35	40%	14
Handicapped female	35	35%	12.25 say 12

उक्त निर्धारित मापदण्ड अनुसार तुलनात्मक तौर पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रार्थी को प्रथम, द्वितीय तथा जिला स्तरीय पुरस्कार दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक समान अंक होने की स्थिति में वह जिस श्रेणी के पुरस्कार पात्र बनते हैं, वह सभी बराबर अंक वालों को दिए जाएंगे तथा ऐसी स्थिति के दृष्टिगत यदि उक्त 45 पुरस्कारों की संख्या को घटाना बढ़ाना पड़े तो तदानुसार घटा बढ़ा दिया जायेगा।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बोर्ड को प्रस्तुत करने उपरांत यदि वह स्वेच्छा से सेंवानिवृ तल` लेता है या सेवानिवृत हो जाता है तो उसे भी संबंधित कैटगरी का पुरस्कार दिया जायेगा।
2. मुल्यांकन अंकों में प्रार्थी द्वारा फस्ट ऐड, फायर फाईटिंग आदि के संस्था के स्तर से जारी इन्टर सर्टीफीकेटस के मुकाबले एक्सटरनल स़्त्रोत से जारी सर्टीफीकेटस को वरीयता दी जायेगी।
3. Jfed vius izkFkZuk i= lh?ks cksMZ ds eq[;ky; esa izLrqr dj ldrs gsaSA

पुरस्कार की पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेंः–

इन पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए योग्यता तथा परफारमैंस के निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैंः–

1. कुल पुरूस्कारों में से 5 पुरूस्कार विकलांग श्रमिकों के लिए आरक्षित होंगे। इस श्रेणी के कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में आरक्षित पुरस्कार सामान्य कामगारों को प्रदान किए जाएंगें।
2. कर्मचारी को केवल एक बार एक ही प्रकार का पुरूस्कार प्रदान किया जाएगा।
3. पुरूस्कार हेतू श्रमिक के चयन उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में पुरस्कार की राशि मृतक कर्मचारी के कानूनी आश्रित को देय होगी।
4. कर्मचारी के विरूद अनुशारानात्मक कार्यवाही लम्बित न हो।
5. कर्मचारी का कार्यकाल संबधित संस्था में कम से कम तीन व"ाँ का हो।
6. कर्मचारी के विरूद" मोरल टर्पीच्यूड" या अपराधिक मामला दर्ज न हो।
7. नियोक्ता कर्मचारी का आवेदन निर्धारित फार्म पर कर्मचारी के सुपरवाईजर तथा पर्सनल मनैजर/ कारखाना मनैजर आदि की सिफारिश समेत कामगार के कार्य,व्यवहार, कार्य कुशलता, अनुशासन,ईमानदारी सेह कर्तव्यपरायणता, वा"ार्िक हाजरी, संस्थान के प्रति नि"ठा, असाधारण उत्साहृ, कुशाग्र बुद्धि व असाधरण साह तथा संस्था के उत्पादन में

कामगार द्वारा दर्शाई गई विशे"ा वृद्वि आदि बिन्दुओं को तथ्यों सहित अंकित करेगा नियोक्ता द्वारा श्रमिक को अच्छे कार्य के प्रति उसके अपने स्तर पर प्रदान किया गया प्रोत्साहन (वेतन वृद्वि या पुरस्कार) आदि का विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

जिस आवेदक के मुल्यांकन अंक तुलनात्मक दृ"ट से अधिक होंगे उसी आवेदक का नाम पुरस्कार हेतू चयन किया जाएगा।

<u>योजना अनुसार प्रमाणों के आधार पर मूल्यांकन अंक प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार से हैः-</u>

1	कलैण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक) कामगार द्वारा कुल कार्य दिवसों के विरूद्व अटैण्ड किए गए कार्य दिवसों के विरूद्व अटैण्ड किए गए कार्य दिवसों की प्रतिशतता	05 अंक तक	(क) कुल कार्य दिवसों की 91 से 100 प्रतिशत तक हाजरी के लिए 04 अंक से 05 अंक तक (ख) कुल कार्य दिवसों की 81 से 90 प्रतिशत तक हाजरी के लिए 02 अंक से 03 अंक तक (ग) कुल कार्य दिवसों की 71 से 80 प्रतिशत तक हाजरी के लिए 01 अंक तक	संस्था के कलैण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक) में कार्य दिवसों की संख्या के विरूद्व प्रार्थी के हाजरी दिवसों की संख्या तथा हाजरी की प्रतिशतता (संख्या **format** अनुसार) भेजी जाती है तथ उप श्रम आयुक्त मुल्यांकन अंकों का आवंटन संलग्न मूल्यांकन की प्रक्रिया की तालिका के अनुसार ही करें तथा बिना के अंक आवंटित न किए जाए।
2	उत्पाद बढ़ाने में योगदान (उत्पादन की मात्रा बढ़ाने , मशीनरी में सुधार पावर सेविंग, मैटरियल लांस की सेविंग वाटर सेविंग, टाईप सेविंग ,टाईम सेविंग मशीनरी के स्वरूप में सुधार से दुर्घटना में कमी इत्यादि के ग्राफ सहित संस्था द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर	05 अंक तक	(क) 100 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 05 अंक तक (ख) 90 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 04 अंक तक (ग) 80 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 03 अंक तक (घ) 70 प्रतिशत तक उत्पाद बढ़ाने पर 02 अंक तक	संस्था से प्रर्थी के प्रयास से संस्था के उत्पादन की बढ़ाने, मशीनरी में कोई टैकनीकल सुधार पावरसेविंग मैटरियल लास की सेविंग, वाटर सेविंग, टाईम सेविंग मशीनरी मशीनरी या समान की टूट -फूट में कमी इत्यादि के में प्रार्थी के योगदान का प्रमाण-पत्र भी संस्थ के हैं लेवे ळेड पर योगदान की प्रतिशतता सहित लेंवें। यदि संस्था के पास प्रार्थी के प्रयास से उत्पादन बढ़ाने का ग्राफ उपलब्ध है तो वह भी प्रमाण के तौर पर प्रार्थना-पत्र साथ लगाएं तथा संलग्न मूल्यासकन अंक

				प्रक्रिया मापदण्डों अनुसार उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन अंकों आंवटन करें यदि प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो आवंटित न करें ।
3.	बहादुरी का कोई विशेष सराहनीय कार्य (संस्था में कोई भी दुर्घटना होने पर साथी कर्मचारियों/ अधिकारियों को गम्भीर बिमारी(हार्ट अटैक, पैरालाईसिस इत्यादि) का अटैक होने पर चोट लगने पर अपनी तरफ से तुरन्त आवश्यक हर सम्भव शारीरिक व आर्थिक सहायता करना व संस्था में किसी प्रकार की आगजनी की स्थिति में अपनी जांच दांव पर लगाकर दूसरे की जान बचाना आदि सराहनीय कार्यों) बारे संस्थ द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर	04 अंक तक	वर्णित विषयों के संबंध में 1 से 04 अंक प्रदान किये जाएंगे	संस्था में कोई भी दुर्घटना होने पर संस्था कर्मचारियों/अधिकरियों को गम्भीर बिमारी (हार्ट अटैक, पैरालाईसिस इत्यादि) का अटैक लगने पर अपनी तरफ से तुरन्त आवश्यक हर सम्भव शारीरिक व आर्थिक सहायता करना व संस्था में किसी प्रकार की आगजनी की स्थिति में अपनी जांच दांव पर लगाकर दूसरे की जान बचाना आदि कामगर किए गए सराहनीय कार्य का प्रमाण अवश्य लगाएं प्रमाण होने पर ही उप श्रम आयुक्त प्रमाण के आधार पर अंक आंवटित करे अन्यथा नहीं।
4	सेवाकाल के दौरान प्रप्त की गई पदोन्नतियां (संस्था द्वारा कामगार को पूर्ण सेवा काल के दौरान प्रदान की गई पदोन्नतियों की संख्या पदोन्नति आदेशों की साक्षांकित प्रति प्रस्तुत करने पर)	03 अंक तक	प्रति पदोन्नति पर 01 अंक प्रदान किया जाएगा तथा अधिकत्म 03 अंक प्रदान किये जाएंगे	सेवाकाल के दौरान कामगार को दी गई पदोन्नति आदेश आदि की प्रति के प्रमाण पर उप श्रम आयुक्त अंक आंवाटित करें अन्यथा नहीं तथा प्रत्येक पदोन्नति पर एक अंक आंवटित करें तथा अधिकतम 03 अकों तक इस शीर्षक के अर्न्तगत अंक आंवटन करें।
5	खेलों में राष्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा (प्रमाण सहित) संस्था में सेवा के दौरान तथा सेवा से पूर्व के समय खेलों में प्रतिस्पर्धा आंकी जाएगी) तथा उक्त संबध में कामगार द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर	03 अंक तक	वरियता राष्ट्रीय स्तर खेलों के लिए 3 अंक राज्य स्तरीय खेलों के जिए 2 अंक तथा बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरिय खेलों के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे।	खेलों के प्रमाण -पत्र होने पर ही उप श्रम आयुक्त के द्वारा आंवटित करें तथा राष्ट्रीय स्तर या उससे उपर के स्तर के लिऐ 03 अंक तथा राज्य स्तरीय खेलों के लिए अंक तथा बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय खेलों के लिए अंक का आंवटन उप श्रम आयुक्त करें।

6	उच्च शिक्षा प्राप्त करना (संस्था में सेवा के दौरान तथा सेवा से पूर्व के अर्जित की गई शिक्षा आंकी कामगार द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत	03 अंक तक	क) स्नाकोत्तर डिग्री के लिए 03 अंक तक ख) स्नातक डिग्री/ इजी० डिप्लोमा के लिए 3 अंक तक ग) 10 +2 / आई०टी० आई० डिप्लोमा के लिए 02 अंक घ) 8 वीं पास से 10 वीं पास के लिए 01 अंक तक	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप आयुक्त मुल्यांकन अंकों का आंवटन शिक्षा प्रमाण पत्रों के आधार पर ही करें अन्यथा नहीं।
7	प्राथमिक चिकित्सा (फस्ट एड) प्रशिक्षण तथा औद्योगिक सुरक्षा तथा फाया फाइटिंग नियमों का ज्ञाान तथा योगदान। कामगार द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर	02 अंक तक	क) फस्ट एड तथा फायर फाईटिंग का प्रशिक्षण संस्था से बाहर की एजैंसी द्वारा प्रदान करने के प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर 02 अंक तक ख) फस्ट एड तथा फायर फाईटिंग संस्था द्वारा स्वयं उक्त प्रशिक्षण देने संबन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 01 अंक तक	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उप श्रम आयुक्त मुल्यांकन अंक आंवटन करें अन्यथा नहीं।
8	सेवाकाल के दौरान किये गऐ कोर्स तथा सेमेनार अटैंड करने पर कामगार द्वारा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने पर	02 अंक तक	प्रति प्रमाण-पत्र 01 अंक तथा अधिकतम 02 अंक	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा
9	सेवाकाल के दौरान प्राप्त विशेष वेतन वृद्धि या पुरस्कार (संस्था द्वारा कामगार को पूर्ण सेवा काल के दौरान	02 अंक तक	प्रति वेतन बृद्धि पर 01 अंक प्रदान किया जाएगा।	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा

	प्रदान की गई वेतन वृद्धियों की संख्या वेतन वृदियों के आदेश व प्रमाण की साक्षांकित प्रति प्रस्तुत करने पर		तथा अधिकतम वेतन वृद्धियों पर 02 अंक प्रदान किए जाएंगे।	
10	कोई विशेष ईमानदारी/सामाजिक कार्य (ईमानदारी के कार्य के अतिरिक्त खून दान, श्रमिकों तथा संस्था में विवाद की स्थिति में समझौते में सहयोग, सामाजिक कार्य जैसे पौधा रोपण, एडस के प्रति जागृति, सामाजि बुराईयों के उन्मूलन में सहयोग करना तथा भ्रूण हत्या के विरूद्व समाज में जागृति पैदा करना इत्यादि। प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करने पर)	02 अंक तक	प्रति प्रमाण- पत्र 01 अंक तथा अधिकतम 02 अंक	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही उप श्रम आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा
11	सेहत की स्थिति	02 अंक तक	कामगार के अच्छे स्वास्थ्य के आधार पर	इस शीर्षक में उप श्रम आयुक्त कामगार की स्वयं स्थिति को स्वयं देखकर आंवटन अंक प्रदान करें अन्यथा
12	अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता	02 अंक तक	संस्था द्वारा अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता का प्रमाण-पत्र देने के अतिरिक्त कामगार की हाजरी अधिकतम (90 से 100 प्रतिशत तक) होने पर समय पर काम करने पर 02 अंक तथा उक्त से हाजरी कम होने पर 01 अंक प्रदान किया जाएगा।	शीर्षक में दर्शाए गए मापदण्ड अनुसार ही आयुक्त मूल्यांकन अंकों का आंवटन करें अन्यथा

19. <u>औद्यौगिक श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे।</u>

औद्यौगिक श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को निम्न अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती हैः–

dze la[;k	;kstuk dk uke	fu/kkZfjr lsokof/k o ekfld osru	foRrh; lgk;rk dh jkf'k	
1	औद्यौगिक श्रमिकों के अपंग, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) बच्चों को वित्तीय सहायता देने बारे	dksbZ ugh	70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक अपंगता, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) की स्थिति में प्रति वर्ष o"kZ	**15]000 :0**
			91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक अपंगता, अन्धेपन (Blind) तथा मंदबुद्वि (Mentally disorder) की स्थिति में प्रति वर्षं की स्थिति में प्रति वर्ष"	**20]000 :0**

पात्रता के लिए निर्धारित शर्तेः–

1- Jfed }kjk vius vkfJr cPps dh viax gksus dh izfr'krrk] vU/ksiu (Blind) gksus o eancqf) (Mentally disorder) gksus dk izek.k&i= District Medial Board }kjk tkjh fd;k gqvk vkosnu&i= ds lkFk izLrqr djuk gksxkA

2- vkfJr cPps dk uke Jfed ds bZ0 ,l0 vkbZ0 dkMZ@jk'ku dkMZ esa ntZ gksuk pkfg, A

3- Jfed ;g 'kiFk&i= nsxk fd mlus vius vkfJr cPps dk lacaf/kr foRrh; o"kZZ esa vkosnu djus ls iwoZ mDr ;kstuk dk ykHk ugh fy;k gSA

4- Jfed izR;ds o"kZZ vkfJr ykHk ik= cPps dk thfor gksus dk izek.k&i= izLrqr djsxk A

5- Jfed ;g Hkh izek.k&i= nsxk fd vkfJr cPps dk vk; dk dksbZ lk/ku ugh gS vkSj og 'kknh'kq}k ugh gSA

20 औद्यौगिक राज्य में श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

हरियाणा श्रम कल्याण बाड द्वारा हरियाणा राज्य म फरीदाबाद की भड कालोनी, 10 स्थानेा पर श्रमिका की लड़कियों व उनकी महिलाओं को बिना किसी फीस के सिलाई कढ़ाई, बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण देने के लिए श्रम कल्याण केन्द्र चलाए जा रह ह ।

21 औद्यौगिक श्रमिकों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने बारे।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए जोनल स्तर तथा राज्य स्तर पर [kydn ifr;kfxrkvk dk vk;kstu djok;k tkrk gA vk;kstu e iFke] f}Rrh; rFkk r'rh; LFkku ikuoky Jfedk dk buke Hkh fn;k tkrk gA

22 मुख्यमंत्री श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना।

gfj;k.kk Je dY;k.k ckMZ }kjk fnukad 1&1&2014 l vk|kfxd lLFkkvk e dk;jr Jfedk dh dk;LFky ij dke djr oDr eR;q gku ;k vix gku dh voLFkk e **eq[; eU=h Jfed lkekftd lqj{kk ;kstuk** नामक योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत दी जाने वाली सहायता था पात्रता की

dk;LFky ij eR;q ;k vixrk dh Js.kh	वित्तीय सहायता की राशि
dk;LFky ij dk;Z djr gq, eR;q gku ij	ikp vk[k :l;
dk;LFky पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत तक vixrk gku ij	ipkl gtkj :i;
dk;LFky पर दुर्घटना होने से 50 प्रतिशत से अधिक vixrk gku ij	,d yk[k :l;

ik=rk d fy, fu/kkfjr 'krs %&

1- e`rd Jfed dh dk;LFky ij gbZ eR;q dh fLFkfr e ifyl **F.I.R.** dh lk{kkfdr ifr] iksLVekVe fjiksV dh lk{kkfdr ifr vkonu&i= d lkFk Hkstuh gkxh A

2 Jfed dh dk;LFky ij n?kVuk gku dh fLFkfr e ifyl **F.I.R.** dh lk{kkfdr ifr vkonu&i= d lkFk Hkstuh gkxh A

3- Jfed }kjk vkonu&i= d lkFk **Medical Board/E.S.I** }kjk tkjh vixता की प्रतिशतता के iek.k&i= dh lk{kkfdr ifr vkonu&i= d lkFk Hkstuh gkxhA

4- fo/kok@vkfJr dk b- ,l- vkb- dkM@b- ih- ,Q- के नोमिनेशन कार्ड की प्रति/राशन कार्ड की प्रति o Jfed dh eR;q dk iek.k&i= vkonu&i= d lkFk Hkstuk gkxk A

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के लिए जनवरी 2013, से निर्धारित आवेदन– पत्र

iR;d ;kstuk gr vkond lLFkk

¼fu/kkfjr vkonu&i= d bykok fdlh vU; QkeZ e vkonu eku; ugh gkxk½
¼lHkh ;kstukvk d fy, lkekU; dkye½

}kjk viuk Attested फोटो अवश्य fpidk,

* vkofnr ;kstuk dk uke ---

1- vkond Jfed dk uke Jh [ ] deksjh [ ] Jherh [ ] --

2. vkond d firk [ ] ifr [ ] dk uke [----] --

3- Jfed d in dk uke --

4- lLFkk dk uke o iw.kZ irk tgk Jfed dk;jr gk --

----

lLFkk@ifjokj dk viuk bZ&esy अवश्य लिखें------------------------------------ दूरभाष@eksckbZy u0------------------------------

5- Jfed dk dy ekfld osru ------------------ ¼vkonu dh frfFk l iwoZ ekl e सभी भत्तों समेत वेतन स्लीप संलग्न करना आवश्यक है)

6- Jfed dk i=kpkj gr iw.kZ irk --- दूरभाष/दूरभाष -----------------------------

7- Jfed dh orZeku lLFkk e Tokbfuax frfFk --

8- Jfed ckM d श्रम कल्याण निधि अंशदान का lnL; dc l g --

9- D;k vkonudrk }kjk orZeku e vkofnr ;kstuk dk igy ykHk mBk;k x;k g \
;fn gk rk iw.kZ fooj.k n --

Jfed@vkfJr dk cSd [kkrk u0	बैंक की शाखा का पूर्ण पता	IFSC code of Bank	MICR code

¼ykHk ysu lca/kh fofHkUu ;kstukvk d fy, vU; dkye½

1- dU;knku ;kstuk ¼

शादी पंजीकरण का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

dU;k rFkk dU;k dh ekrk dk uke	oj dk uke rFkk oj d firk dk uke	शादी की तिथि	शादी पंजीकरण संख्या rFkk fnukad

d½ मै घोषणा करता हूं कि मेरी पुत्री विवाहित है। [fookfgr i=h dk lLFkk l Attested फोटो अवश्य fpidk,] ¼fookfgr i=h d gLrk{kj½ ¼Jfed d gLrk{kj½

2- vk|kfxd Jfedk dk lkbZdy nu ckjs ;kstuk ¼
d½ Jfed dh ftl lkbZt d lkbZdy dh ekx g mlsa vxs vuqlkj ¼ √ ½ fVd djs ¼20bap½ vFkok ¼22bap½

[k½ e घोषित djrk@djrh g fd eu ckMZ l vkt rd dksbZ lkbZdy izkIr ugh fd;k gSA

¼vkond d gLrk{kj½

3- औद्योगिक महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन देने बारे योजना %

¼vkosnd efgyk d gLrk{kj½

4- vk|kfxd Jfedk dk **L.T.C.** d fy, foRrh; lgk;rk ;kstuk %

Jfed dk L.T.C. के आवेदन के प्रारूप में ब्लॉक व कलेम करने का व र्ष द र्शाना होगा तथा nlj; ;k mld ckn d vkonu e ;g
स्पष्ट घोषणा करनी होगी कि उसने पहले किस ब्लॉक में तथा किस वर्ग में L.T.C dk ykHk fy;k A

¼vkosnd d gLrk{kj½

5-6 Nk=ofRr ¼ 9th to onwards ½ rथा वर्दी/किताबें व स्टेशनरी आदि खरीदने की योजनाएं %

Nk=@Nk=k dk Ldy l Attested फ़ोटो अवश्य fpidk,

¼d{kk 1 l 4 o 5 l 8½ d fy,

d½ Nk=@Nk=k dk uke --

[k½ Nk=@Nk=k dh ekrk dk uke --

पास की गई परीक्षा के अंकों का साक्षांकित प्रमाण–पत्र स्कूल/संस्थान के प्रिंसीपल/हैडमास्टर की मोहर सहित संलग्न करना आवश्यक है जिसमे अकैडमिक शैसन का विवरण स्पष्ट हो ।
i<kbZ tkjh j[kus dk प्रमाण–पत्र स्कूल/संस्थान के लैटर पैड पर प्रिंसीपल/हैडमास्टर द्वारा साक्षांकित करवा कर अवश्य संलग्न करें जिसमें वर्तमान कक्षा में पढ़ने का अकैडमिक शैसन लिखवाना जरूरी है ।

x½ मै घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र/पुत्री अविवाहित है। ¼Nk=@Nk=k d gLrk{kj½ ¼Jfed d gLrk{kj½

7- dk;LFky l ckgj fdlh Hkh dkj.k l n?kVuk e vixrk gku ij foRrh; lgk;rk ;kstuk %

d½ श्रमिक की दुर्घटना बारे ई0एस0आई0/सी0एम0ओ0 द्वारा अपंगता का प्रतिशत प्रमाण–पत्र जारी करने की frfFk ----------------
[k½ Jfed dh n?kVना में हुई अपंगता का प्रतिशत (lk{kkfdr iek.k&i= अवश्य lyXu dj½

8- महिला श्रमिकों तथा पुरूष श्रमिकों की पत्नियों को प्रसूति पर वित्तीय सहायता ;kstuk %

d½ iqlfr] tUe dk iek.k&i= o Jfed dh iRuh gku dk iek.k&i= lkFk Hkstuk t:jh gA

[k½ lLFkk rFkk Jfed }kjk ;g iek.k i= nu gkxk fd Jfed dk ;g igyk ;k nljk cPpk g rFkk mlu ckM l igy doy ¼,d½ o ¼nk½ vFkok fdlh dk Hkh ugh ykHk fy;k g tk ykxw gk ml ij ¼ √ ½ djA

9 dk;LFky l ckgj fdlh Hkh dkj.k l Jfed dh eR;q gku ij erd Jfed dh fo/kok@vkfJrk dk foRrh; lgk;rk rFkk nkg lLdkj ;kstuk, %
d½ fo/kok@vkfJr dk uke --

[k½ vkfJr d erd Jfed d lkFk D;k lEcU/k g ---------------------- o eR;q frfFk ----------------------
x½ आश्रित द्वारा मृतक श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण तथा मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

¼fo/kok@vkfJr d gLrk{kj½

11-12- nkar डैंटल केयर के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं %
Jfed }kjk vk[k o nkar pqd djokus o i.kZ tcMk yxokus dh MkDVj dh iqf"Vdj.k fjiksVZ ftlesa fcekjh dk uke MkDVj }kjk l>k;k x;k [kpZ ykxr] [kpZ ykxr gsrq nokbZ;k dk o.ku gks fd vfrfjDr nokbZ;k vkfn [kjhnus dk fcy MkDVj dh iqf"Vdj.k fjiksVZ ij rFkk fcyks ij MkDVj ds gLrk{kj eksgj lfgr djokdj dyes ds lkFk layXu djds HksatsA

13- vk|kfxd Jfedk d cPpk dk [ksy&dwn ifr;ksfxrkvks es Hkkx yus ij foRrh; lgk;rk ;kstuk %

Nk=@Nk=k }kjk [ksy ifr;ksfxrk es Hkkx yus rFkk ifr;ksfxrk es çFke] f}rh;] r`rh; LFkku çkIr djus vFkok dsoy Hkkxhnkjh dk [ksy foHkkx }kjk tkjh iek.k&i= dh lk{kkfdr ifr Hksatuk आवश्यक है A

14- vk|kfxd Jfedk d cPpk dk lkLdfrd ifr;ksfxrkvks es Hkkx yus ij foRrh; lgk;rk ;kstuk %

Nk=@Nk=k }kjk lkLdfrd ifr;ksfxrk es Hkkx yus rFkk ifr;ksfxrk es ikIr iFke] f}rh;] r`rh; LFkku ikIr djus vFkok dsoy Hkkxhnkjh dk lkLdfrd foHkkx }kjk tkjh iek.k&i= dh lk{kkfdr ifr Hksatuk आवश्यd gS A

¼vkosnd Jfed@vkfJr ds gLrk{kj½

15-17- n?kVuk es egRoiw.kZ vax xoku okys Jfedk o mudsa vkfJrk dk df=e vax] Jo.k 'kfDr [kks pqds Jfedk o muds vkfJrkdk Jo.k e'khu ;k hearing aids o vikx Jfedk o muds vkfJrk dk Try Cycle miyC/k djokus ckjs ;kstuk,%

d½ mDr rhuk ;kstukvks es MkDVjh iek.k&i=] vkfJr dh fLFkfr es Jfed ij vkfJr gkus ds iek.k&i= ds vfrfjDr Jo.k@मशीन, Try cycle vkj df=e vax [kjhnus ds fcy dyes ds lkFk Hkstus t:jh gS A

18- e`[; eU=h Je iqjLdkj ;kstuk %

यह घोषित/प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरूद्ध कोई मोरल टर्पीच्यूड या अपराधिक मामला दर्ज नही है । आवेदक के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां भेजना आवश्यक है क्योंकि उक्त प्रमाणों ds vk/kkj ij vodk dk vkoaVu fd;k tkuk gSA vodk dk eY;kdu Je iqjLdkj dh eY;kdu ifd;k ¼layXu½ es Hkkj fn;k x;k gS A

¼vkosnd Jfed@vkfJr ds gLrk{kj½ ¼lLFkk ds iksf/kdr vf/kdkjh ds gLrk{kj eksgj lfgr½

19- vk|kfxd Jfedk ds vix] vU/k rFkk encqf) (Mentally disorder) cPpk dk foRrh; lgk;rk nus ckjA
आवेदन–पत्र क साथ अपंग होने की प्रतिशतता, अन्धे होने व मंदबुद्धि (Mentally disorder) होने का प्रमाण–पत्र

District Medical Board }kjk tkjh fd;k gqvk lkFk Hksatuk t:jh gSA

¼vkosnd Jfed ds gLrk{kj½

20 e`[; eU=h Jfed lkekftd lqj{kk ;kstuk ds rgr Jfed@fo/kok@vkfJr dk foRrh; lgk;rk nus ckjsA

vkosnu&i= d lkFk Jfed dh dk;LFky ij eR;q dh fLFkfr es iqfyl F.I.R. dh lk{kkfdr ifr] iksLVekVe fjiksVZ dh lk{kkfdr ifr bZ- ih- ,Q- नोमिनेशन कार्ड की प्रति/ई- ,l- vkbZ- dkMZ dh ifr lkFk Hkstuh gksxh A

Jfed d dk;LFky ij dke djrs oDr n?kVuk gkus dh fLFkfr es iqfyl F.I.R. dh lk{kkfdr ifr] Medical Board/E.S.I. द्वारा जारी अपंगता की प्रतिशतता के प्रमाण–पत्र की साक्षांकित प्रति आवेदन–पत्र के साथ भेजनी होगी ।

¼vkosnd Jfed @fo/kok@vkfJr ds gLrk{kj½

Jfed dh vMjVfdx

*मै घोषणा djrk gw@djrh gwa fd vkonu&i= esa n'kkZ, x, rF; esjs Kku o fo'okl ds vuqlkj Bhd gS rFkk blesa dqN Hkh Nik;k ugha x;k gS A cgdkus ;k Nikus d fdlh Hkh fLFkfr d ekeys esa esjs fo:) tSlk Hkh ekeyk gks vijk/kh ds rkSj ij Hkkjrh; nM lfgrk dh /kkjk 182] /kkjk 415] lg /kkjk 417 rFkk /kkjk 420 ds rgr esjs fo:) dkuuh dk;okgh dh tk ldrh g**A बोर्ड की योजना के अन्तर्गत यदि किसी कारणवश देय से अधिक राशि स्वीकृत हो जाती है तो मैं श्रम कल्याण बोर्ड को vf/kdkj nsrk gw fd og esjh lLFkk ds ek/;e ls vf/kd tkjh की गई राशि मेरे वेतन से कटौती करके अपनी भरपाई कर लेवें ।

¼vkond Jfed@vkfJr ds gLrk{kj½

lLFkk dh vksj ls vkonu&i= ds rF;k dk lR;kiu
iek.k&i=

çekf.kr fd;k tkrk gS fd Jh@Jherh@dqekjh---¼Jfed@Jfedk dk uke½ls/i=h@iRuh Jh --------------------------------------bl lLFkk esa fnukad------------------ ls ----------------ds in ij dk;jr gS rFkk Jfed dk ekfld osru ¼lHkh HkRrk lfgr½---------------------:0 gS o Jfed }kjk vkonu&i= esa nh xbZ lwpuk iw.kr;k lR; gS ,o बोर्ड़ की योजना की शर्तों अनुसार कवर होता है। श्रमिक की ज्वाईनिंग तिथि से संबंधित नियोक्ता के अंशदान समेत ————————रू0 अंशदान की राशि बोर्ड में जमा करवा दी गई है । Jfed }kjk mDr ykHk ds fy, dsoy ,d gh vkonu प्रस्तुत किया गया है । यदि किसी कारणवश श्रमिक को योजना के तहत देय राशि से अधिक राशि जारी हो जाती है तो अतिरिक्त अधिक राशि की रिकवरी श्रमिक के वेतन से करके श्रम कल्याण बोर्ड का cSd MkQV ds ek/;e ls Hkst nh tk,xh A

¼lLFkk ds ikf/kdr vf/kdkjh ds gLrk{kj ekgj lfgr½

Je fujh{kd@Je fujh{kd ¼dY;k.k½ dh tkp
fjikV

mDr vkonu&i= bl dk;ky; esa fnukad --------------------dks Mk;jh u0 ----------------ds vrxr iklr fd;k x;k gSA vkonu&i= esa Jfed }kjk o lLFkk }kjk iLrqr fooj.k lLFkk fjdkMZ ls esjs }kjk futh rkSj ij lLFkk esa fnukad --------------- dks tkpk x;k rFkk tkp mijkr vkonu&i= esa of.kr lHkh rF; Bhd ik, x,A अतः अनुदान देने की सिफारिश की जाती है। bl dk;ky; d fjdkMZ vuqlkj mDr ;ktuk d of.kr ykHk grq Jfed }kjk dsoy ,d gh ikFkuk&i= iLrqr fd;k x;k gS ftldk bUnkt bl dk;ky; d Mk;jh jftLVj e dj fy;k x;k gS vkj lLFkk us Jfed dk n; frfFk rd dk i.k vंशदान :0 --------------- ----श्रम कल्याण बोर्ड में भेजा हुआ है तथा उपरोक्त वर्णित केस योजना की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता है । यदि fdlh Lrj ij tkp esa esjs }kjk mDr rLnhd rF; xyr ik, x, rk mlds cksMZ dks gksbZ foRrh; gkfu dh esjh i.kZ ftEeokjh gksxh A

Je fujh{kd@Je fujh{kd¼dY;k.k½@
Je rFkk le>krk vf/kdkjh @dY;k.k vf/kdkjh ¼efgyk½
ds gLrk{kj uke o ekgj lfgr

ukV :	(1) vU; dkye tk vkofnr ;ktuk ds fy, ykxw u gks mUgs u Hkjs A
	(2) Star column is most important

सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतू
(अग्रिम रसीद)

¼;ktuk dk uke½--dh ;ktuk&ykHk dh vUrxir dY;k.k vk;Dr] gfj;k.kk dh }kjk Lohdr :0 ¼vdk e½-- doy : i ;

(शब्दों में)--की राशि मेरे द्वारा प्राप्त कर ली गई gS A

jktLo fVdV

lLFkk dh ikf/kdr vf/kdkjh dh gLrk{kj	Jfed@vkfJr ¼cPp½ dk uke ,o
lR;kiu grq ekgj lfgr	gLrk{kj rFkk i.k irk

नोटः– पांच हजार रूपये से अधिक वित्तीय सहायता वाली योजनाओं में उक्त अग्रिम रसीद हेतू राजस्व टिकट वाले बाक्स में राजस्व टिकट पेस्ट करके उसके उपर लाभार्थी स्वये हस्ताक्षर करें।

Nk=ofRr rFkk onh@fdrkcs o LVs'kujh vkfn [kjhnus dh ;kstuk ds rgr Ldwy@dkyst@VsDuhdy
f'k{kk laLFkku@;fuofLkVh ls tkjh izek.k&i= dk izk:i

iekf.kr fd;k tkrk gS fd Nk=@Nk=k Jh@dqekjh--
------ iq=@iq=h ¼ekrk rFkk firk nksuks dk uke½ --gekjs
laLFkku esभौक्षणिक सत्र वर्ष --es d{kk@lsesLVj es --- i<+
jgk@jgh gSA Nk=@Nk=k dk jksy uEcj--है। छात्र/छात्रा द्वारा भौक्षणिक सत्र वर्ष
-------------------------------------- es d{kk@lsesLVj--fcuk fdlh dEikVZesUV@fj&अपियर के
शैक्षणिक सत्र वर्ष ------------------ ds nkSjku lsesLVjks es ikl fd;k x;k gSA

स्कूल/कालेज/टैक्नीकल f'ाक्षा
संस्थान/यूनिवर्सिटी ds gLrk{kj
eksLVj@fiazlhiy@laLFkku ds iz/kkukpk;Z ds
eksgj lfgr gLrk{kj

PRESCRIBED FORMAT FOR VALUATION OF SHARAM PURUSHKARS

(As for as possible valuation will be done on the basis of attached proofs)

Sr. No.	Subject of title	Max. marks allowed	Self assessment by the applicant	Assessment by the management	Marks awarded by DLC after verification	Marks awarded by Committee
1.	Annual attendance in previous calendar year	05				
2.	Contribution in increasing production	05				
3.	Exceptional act of bravery	04				
4.	Sequence of promotions during service period	03				
5.	Participation in sports at National / State Level	03				
6.	Higher Education achieved	03				
7.	First aid training and knowledge of industrial safety and fire fighting rules and contribution in this regard	02				
8.	Courses and Seminars attended during service period	02				
9.	Special incentive / increments / rewards given at management's level	02				
10.	Any special act of honesty / social work	02				
11.	Health condition	02				
12.	Discipline and devotion to duty	02				
	Total Marks	**35**				

(Signature of Applicant) (Authorised Signatory of Management) (Signature of DLC)

साईकल खरीद कर बिल के साथ भेजी जाने वाली श्रमिक की अण्डरटेकिंग

iekf.kr fd;k tkrk g fd e-- l i=@l i=h@iRuh@Jh------------------------------

lLFkk e lt--e ------------------------d in ij dk;jr g u fcy u0-----------------------------fnukd-----------------------------d rgr ub lkbdy e lt----------------- -----------------------vf/kdr Mhyj l ------------------------------ ब्राड की खरीद कर ली है जिसकी राशि रू0 -----------------------g A lkbdy dk pfl t u0--------------------------------gA ey fcy ft le Mhyj }kjk oV bR;kfn Hkh fy;k x;k g lkFk lyXu djd Hktk tkrk gA

Jfed d gLrk{kj
i.k ir lfgr

----

lLFkk d vf/kdkjh d gLrk{kj ekgj lfgr

ukV % Jfed doy ikp ckM ¼dEifu;k½ ¼Atlas, Hero, Avon, Hercules & BSA) e l gh fdlh ,d कम्पनी का साईकल खरीदेगा यदि कोई श्रमिक दूसरे ब्रांड (कम्पनीं) का साईकल खरीदेगा तो उसको राशि की vnk;xh ugh dh tk,xh A Jfed lkbdy के मूल बिल पर वैरीफिकेसन हेतू अपने हस्ताक्षर आवश्यक करेगा।

अण्डरटेकिंग (प्रसूति योजना)

eSa -- lqiq= Jh --घोषणा करता हूॅं कि मेरी पत्नी का uke Jherh--gS rFkk esjs ifjokj esa tUes cPpksa dk fooj.k fuEu izdkj ls gS%&

dze la[;k	cPps dk uke	tUe frfFk
1-		
2-		

esjs ifjokj esa orZeku tUes cPpsa lekr nks ls T;knk cPps ugha gSaA

Jfed dk uke rFkk gLrk{kj

Jfed }kjk nh xbZ mDr tkudkjh fcYdqy lgh gSA

lsLFkk ds ifrfuf/k ds gLrk{kj
eksgj lfgr

सिलाई मशीन खरीद कर बिल के साथ भेजी जाने वाली महिला श्रमिक की अण्डरटेकिंग

iekf.kr fd;k tkrk g fd e--- l i=h@iRuh@Jh-----------------------------------

lLFkk e l t-- e ---------------------------------- d in ij dk;jr g मैनें हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की योजना अनुसार नई मशीन डीलर मैसर्ज-- -- ft ldk fcy u0 -- fnukd -- rFkk Jाशि रू0 ---------------------------- g A ey fcy ft le Mhyj }kjk oV bR;kfn Hkh fy;k x;k g lkFk lyXu djd Hkstk tkrk gA

Jfedk d gLrk{kj
i.k ir lfgr

----

lLFkk d vf/kdkjh d gLrk{kj ekgj lfgr

ukV % Jfedk doy ikp ckMk ¼dEifu;k½ ¼**Merit, Laxmi, Usha, Singer & Zenith)** e l gh fdlh ,d कम्पनी की सिलाई मशीन खरीदेगी ;fn dkbZ Jfedा दूसरे ब्रांड (कम्पनीं) की सिलाई मशीन खरीदेगी rk og fcy ekU; ugh gkxkA Jfedा सिलाई मशhu d ey fcy ij ojhfQd lन हेतू अपने हस्ताक्षर आवश्यक djxh

नोटः— महिला श्रमिका को पूर्ण सेवा अवधि में सिलाई मशीन का लाभ केवल एक बार ही दिया जायेगा ।

(डेन्टल केयर हेतू डाक्टर की प्रैसक्रिप्सन)

;g izek.k fd;k tkrk gS fd eSa Jh@Jherh -- lq=@lqi=h@iRuh Jh ---M/s -- से दांतों के ईलाज जबड़ा लगवाने के लिए (सह अवश्य clear djs fd bykt nkarksa dk fd;k gS ;k tcMk replace fd;k gS½ ftlds fy, eSaus ------------------------------ :i;s izkIr fd, A

1- nkar

2- iw.kZ tcMk

Dated

Doctor Stamp with signature

(BDS)

हरियाणा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

एक परिचय

असंगठित क्षेत्र के भवन एंव अन्य सन्निर्माण कागगारों के नियोजन एंव कार्यदशाओं को विनियमत करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपायों का प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एंव सेव विनियम) अधिनियम, 1996 बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य के नियम दिनांक 29 मार्च, 2005 को अधिसूचित किए गए।

निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनायें बनाने व संचालित करने के उद्देश्य से हरियाणा भवन एंव सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2 नवम्बर 2006 की अधिसूचना द्वारा किया गया है। इस बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनायें बनाई जाती हैं तथा राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् उन्हें लागू किया जाता है तथा निर्माण श्रमिकों के लिए अन्य लाभकारी उपाय भी किए जा रहे हैं।

बोर्ड द्वारा मुख्य रूप से चलाई जा रही योजनाएं

दुर्घटना में तत्काल सहायता, 60 वर्ष की आयु होने पर पेन्शन, मकान बनाने के लिए ऋण/अग्रिम का भुगतान, बच्चों की शिक्षा हेतु सहायता, गम्भीर बीमारी के लिए उपचार राशि, महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ, स्वास्थय बीमा योजना राष्ट्रीय स्वास्थय योजना के तर्ज पर पैतृक घर जाने के लिए किराए पर खर्च हुई राशि का भुगतान तथा साइकिल की खरीद पर खर्च की गई राशि का भुगतान इत्यादि सारी योजनाएं हैं।

भवन एंव अन्य निर्माण का क्र्या कया है?

भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (आरई.सी.एस.) अधिनियम, 1996 की धारा–2 (डी) के अनुसार भवन एंव अन्य निर्माण कार्य का अर्थ है–

1. भवन, सड़क मार्ग, रेलवे हबाई अड्डे का निर्माण,

2. सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, जल वितरण एंव निकासी तथा तटबन्ध निर्माण,

3. बिजली का उत्पादन, प्रेषण एंव वितरण कार्य,

4. तेल तथा गैस प्रतिष्ठान, बिजली की लाईन, बेतार, रेडियो, टेलिविजन, टेलिफोन, तार तथा विदेश संचार माध्यम,

5. बांध, नहर, तालाब, पुल, सेतु, जल सेतु, सुरंग, पाईप लाईन, टावर आदि के संबंध में निर्माण (Construction), परिवर्तन (Alteration), मुरम्मत (Repair), रख–रखाव (Maintenance), या तोड़ना (Demolition) शामिल है।

इसमें ऐसे अन्य कार्य भी शामिल होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ठ किया जायेगा।

परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य शामिल नहीं होंगे, जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हों।

निर्माण श्रमिक कौन हैं?

अधिनियम की धारा–22(ई) के अनुसार निर्माण श्रमिक से आश्य उस व्यक्ति से है–

- जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में शामिल हैंः
- शारिरिक, पर्ववेक्षण (सुपरवाईजरी), तकनीकी या लिपिकीय कार्य वेतन अथवा पारिश्रिमिक के लिए कार्य करता हो।

लेकिन इसमें प्रंबधक अथवा प्रशासक की हैसियत से कार्य करने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है।

विशेष नोटः ठेकेदार तथा ईट, पत्थर, बजरी, रोड़ी, लोहा आदि निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति तथा स्वंय की पूंजी लगाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति निर्माण श्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं है।

पंजीकरण के लिए कौन पात्र है तथा इसकी प्रक्रिया .....

पंजीकरण हेतु पात्रता

लाभर्थियों के रूप में पंजीकरण कराने के लिए ऐसे सभी निर्माण श्रमिक पात्र होंगे–

जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो,

जिसने पिछले 12 माह में 90 दिन या इस से अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, तथा

जो किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य न हो।

पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अधिकारी कौन है?

निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करने के लिए बोर्ड की ओर से इस समय श्रम विभाग के सभी सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एंव स्वास्थ्य तथा सभी सहायक श्रम आयुक्तों तथा सभी श्रम निरीक्षकों को अधिकृत किया गया है।

पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?

कामगारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने हेतु अपना पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। लाभार्थी के रूप में पंजीकरण कराना बहुत सरल है। जो निर्माण श्रमिक पंजीकरण कराना चाहता है, उसे पंजीकरण आवेदन प्रपत्र संख्या प्रारूप V एंव VI भरकर, 25 रूपये आवेदन फीस एंव 5 रूपये मासिक अंशदान के साथ निमांकित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो कापी पंजीकरण अधिकारी को देंः-

1. अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हैः-

(क) किसी स्कूल द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अथवा

(ख) जन्म-मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र अथवा

(ग) किसी सरकारी अस्पताल के डाक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा

(घ) ड्राईविंग लाईसेंस

(च) मतदाता पहचान पत्र

(छ) आधार कार्ड

(ज) राशन कार्ड अथवा

(झ) भारतीय पासपोर्ट

(ट) पैन कार्ड

2. निर्माण श्रमिक होने कर प्रमाण पत्र।

यह प्रमाण पत्र नियोजक या ठेकेदार द्वारा जारी किया गया हो। ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर निम्न द्वारा दिया गया प्रमाण पत्रभी स्वीकार होगा-

(अ) पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघ द्वारा, या

(ब) संबधित क्षेत्र के सहायक निदेशक, औद्यौगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य या सहायक श्रम आयुक्त द्वारा, या

(स) पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा।

3. पासपोर्ट साईज के 3 रंगीन फोटोग्राफ।

- आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकरण के लिए बनाये गये आवेदन प्रपत्र में निर्माण श्रमिक होने के प्रमाण पत्र तथा नामांकन का प्रारूप भी

शामिल कर लिये गये हैं और पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र श्रम विभाग के सभी कार्यलयों में निःशुल्क उपलब्ध हैं।

- पंजीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के विवरण से सन्तुष्ट होने तथा आवेदन शुल्क की रसीद जारी करने के पश्चात निर्माण श्रमिक का पंजीकरण किया जायेगा तथा उसे फोटोयुक्त परिचय परिचय पत्र जारी किया जायेगा।

- किसी भी पंजीकरण अधिकारी द्वारा किसी निर्माण श्रमिक का लाभर्थी के रूप में पंजीकरण का आवेदन संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति बोर्ड के सचिव अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर निराकरण करा सकेगा।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं, सहायता राशि एवं निर्धारित शर्तें

1. मातृत्व लाभ योजना सहायता राशि : कुल 36,000 रूपये।

5,000 रूपये प्रतिमाह की दर से छः महीनों तक (प्रसव होने के 3 माह पूर्व से 3 माह बाद तक) तथा इसी अवधि के दौरान 1,000 रूपये प्रतिमाह, (कुल 6,000 रूपये) स्वास्थ्यवर्धक खुराक के लिए दिए जाएंगे।

पा़त्रताः 1. पंजीकृत महिला कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता

2. छः माह का प्रसव (सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र)

3. तीन किस्तों के बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

4. मातृत्व लाभ अधिकतम दो प्रसव तक देय।

2. छात्रवृति योजना सहायता राशिः 3,000 से 15,000 रूपये प्रतिवर्ष

(पहली कक्षा से स्नातकोतर तक)

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. स्कूल/संस्था का प्रमाण पत्र।

3. कन्यादान योजना सहायता राशिः 51,000 रूपये

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. कन्या के विवाह का पंजीकरण पत्र।

4. अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता राशिः 2,000 रूपये प्रतिमाह

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. बच्चे की 50 प्रतिशत से अधिक 'शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम/अपंगता।

3. सरकारी चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र।

5. मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना सहायता राशिः 5,100 रूपये प्रतिवर्ष

महिला कामगार द्वारा साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़, मेट्रेसेज, बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि की खरीद पर प्रस्तुत बिल का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. सदस्यता के नवीनकरण के समय देय।

3. बिल की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।

6. चिकित्सा सहायता

सहायता राशिः 200 रूपये से 215 रूपये प्रतिदिन

किसी भी सरकारी हस्पताल में कम से कम 4 दिन एवं अधिक से अधिक 30 दिनों तक दाखिल रहने पर आर्थिक चिकित्सा सहायता

पा़त्रताः 1. पंजीकृत कामगार।

2. सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

7. स्वास्थ्य बीमा योजना सहायता राशिः 30,000 रूपये सालाना

स्वास्थ्य बीमा योजना, के पैटर्न पर कामगार अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की सरकारी हस्पतालों या पैनल में लिए गए प्राईवेट हस्पतालों में वर्ष में 30,000 रूपये तक का मुफ्त ईलाज की सुविधा।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार।

2. निदेशक ई.एस.आई.हैल्थ केयर द्वारा स्वास्थ्य कार्ड/स्मार्ट कार्ड जारी किया गया हो।

8. बच्चों की शादी पर सहायता राशि : 11,000 रूपये

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. बच्चे के विवाह का पंजीकरण पत्र।

3. कामगार की केवल दो बच्चों की शादी पर देय।

4. अपनी बेटी की शादी पर कन्यादान राशि 51,000 रूपये प्राप्त करने वाले कामगार इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

9. सिलाई मशीन योजना सहायता राशि : 3500 रूपये

बोर्ड द्वारा महिला कामगारों को सिलाई मशीन की खरीद पर, खर्च हुए 3500 रूपये तक का भुगतान।

पात्रता : 1. पंजीकृत महिला कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता 2. बिल की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।

10. साईकिल योजना सहायता राशि : 3000 रूपये

बोर्ड द्वारा कामगारों को साईकिल की खरीद पर खर्च हुए 3000 रूपये तक का भुगतान।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता

2. बिल की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य।

3. यह सुविधा तीन वर्ष में एक बार उपलब्ध होगी।

11. मकान ख़रीद हेतु सहायता

सहायता राशि : 1,50,000 रूपये तक ऋण

बोर्ड द्वारा कामगारें को अपना घर खरीदने अथवा निर्माण हेतु व्याजमुक्त ऋण दिया जाता है।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता

2. अधिकतम उम्र 52 ताकि ऋण की अदायगी शेष 8 वर्षों में कर सके।

3. यह सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी।

12. औज़ार हेतु उपदान सहायता राशि : 5,100 रूपये

बोर्ड द्वारा कामगारों को अच्छे एवं सुविधाजनक टूल-किट खरीदने के लिए उपदान के रूप में।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता

2. यह सुविधा तीन वर्षो में एक बार उपलब्ध होगी।

13. पैंशन योजना सहायता राशि : 1,000 रूपये प्रति माह

बोर्ड द्वारा कामगारों को उनके उम्र के 60 वर्ष पुर्ण होने पर उनके द्वारा कुल जमा अंशदान वापिस करने साथ-साथ पय पैंयान राशि दी जाती है।

1. पंजीकृत कामगार की कम से कम तीन वर्ष की नियमित सदस्यता

2. यह पैंशन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी जाने वाली पैंशन के अतिरिक्त होगी।

14. पारिवारिक पैंशन सहायता राशि : 500 रूपये प्रति माह

पंजीकृत पैंशनभोगी कामगार की मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उनकी पत्नी/पति को यह पैंशन राशि दी जाती है।

पात्रता : 1. पंजीकृत कागगार पहले से पैंशन ले रहा हो।

2. पंजीकृत कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

15. अपंगता सहायता/पैंशन

सहायता राशि : 1 लाख रूपये से 2 लाख रूपये तक

पंजीकृत कामगार की किसी दुर्घटना अथवा बीमारी से स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता से प्रतिशतता के आधार पर एक मुश्त वित्तीय सहायता 1 से 2 लाख रूपये दी जाएगी एवं इसके अतिरिक्त उक्त कागगार को 300 रूपये प्रतिमाह पैंशन दी जाएगी।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार।

2. अपंगता की प्रतिशत के संबंध में सरकारी चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र।

16. श्रमिक की मृत्यु पर सहायता

सहायता राशि : 5,00,000 रूपये

पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर मुत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार के सदस्यों का यह सहायता दी जाती है।

पात्रता : 1. पंजीकृत कामगार।

2. दुर्घटना के संबंध में एफ आई आर की प्रति।

3. मृतक कामगार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति।

4. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

पंजीकृत कामगार की साधारण मृत्यु पर 1,00,000 रूपये

1. पंजीकृत कामगार।

2. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

17. अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर

सहायता राशि : 1,00,000 रूपये

अपंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार के सदस्यों को यह सहायता दी जाती है।

पात्रता : 1. दुर्घटना के संबंध में एफ आई आर की प्रति।

2. मृतक कामगार की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति।

3. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

4. नियोजक का प्रमाण पत्र।

18. दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

सहायता राशि : 15,000 रूपये

पंजीकृत कामगार की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार के सदस्यों को यह सहायता दी जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार।

2. मृतक कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र।

19. पैतृक घर जाने पर किराया

सहायता राशिः वास्तविक किराया

वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर किराए की भरपई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार की दो वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. क्लेम के साथ मूल यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य।

20. मुफ्त भ्रमण सुविधा

सहायता राशिः वास्तविक किराया

चार वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को प्रसिद्ध धार्मिक अथवा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने पर किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार की दो वर्ष की नियमित सदस्यता।

2. क्लेम के साथ मूल यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य।

21. सहायता अंशदान वापस

राशिः कुल जमा अंशदान

श्रमिक की 60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु होने पर उस द्वारा जमा करवाया गया अंशदान उसके नामित आश्रितों या कानूनी वारिस को वापिस दिया जाता है।

22. घातक बीमारियों की स्थिति में ईलाज के लिए आर्थिक सहायता राशिः 1,00,000 रूपये

पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के ईलाज के लिए यह सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताः 1. पंजीकृत कामगार।

2. सरकारी चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र।

3. ईलाज पर हुए खर्च राशि का मूल बिल प्रस्तुत करने पर।

अन्य सुविधाएँ

क) अस्थाई निवास सीानों/निर्माण स्थलों पर चलती-फिरती शौचालयों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ख) कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देख-भाल के लिए अस्थाई शिशुगृह की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ग) निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करवाने, मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने व महिला श्रमिक के बच्चों के लिए शिशुगृह की सुविधा प्रदान की जा रही है जिस के लिए इस समय श्रमिक कल्याण केन्द्र, मानेसर, सिकन्दरपुर (गुड़गांव) तथा एन.आई.टी.व ओल्ड फरीदाबाद में सीापित किए गए हैं। राज्य में अन्य स्थानों पर ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए राई तथा कुण्डली जिला सोनीपत में भूमि की खरीद की जा चुकी है तथा निर्माण प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ करने के लिए बोर्ड प्रयत्नशील है।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आज जी श्रम विभाग के सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थय के कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाएँ।

(आवेदन पत्र मुफ्त उपलब्ध हैं।)

पंजीकरण के लिए साथ में लाएँः-

1. तीन पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो

2. आयु प्रमाण पत्र

3. तीन महीने निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का प्रमाण पत्र

4. पंजीकरण फीस 25 रू० (एक बार) 5 रू०/माह अंशदान (तीन वर्षों का)

प्ंजीकरण की प्रक्रिया आसान करते हुए आयु प्रमाण पत्र के तौर पर ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाना पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड अथवा पासपोर्ट मे से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी एंव सहायक निदेशक कार्यालय का पता।

पंजीकरण हेतू आवेदन प्रारूप

1. आवेदक का नाम _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. स्थाई पता _____
   _____पिनकोड_____
4. वर्तमान पता _____
   _____मोबाईल न०_____
5. जन्म तिथि _____
6. आधार कार्ड संख्या _____
7. आवेदक के ब्रैंक क) खाता न० _____ ख)___
   खाते का ब्यौरा ग) _____
8. लिंग (पुरूष/ महिला) _____
9. वैवाहिक स्थिति _____
10. जाति श्रेणी (एस०सी०/एस०टी०/बी०सी०/ओ०बी०सी०/जनरल)
11. राशन कार्ड संख्या _____
12. आवेदक का ईएसआई/ईपीएफ क्रमांक (यदि कोई हो) _____
13. काम का विवरण (चिनाई मिस्त्री, मजदूर, पलम्बर, बढ़ई, पेन्टर अन्य कोई) _____
14. मासिक आय _____
15. आवेदक द्वारा कम से कम 90 दिन कार्य किये जाने का ब्यौरा

क्र सं.	निर्माण कार्य स्थल का पता	कार्य की प्रकृति	कार्य अवधि	नियोजक/ठेकेदार का नाम पता	केवल अंतिम नियोजक/ठेकेदार के हस्ता तथा टेलीफोन नम्बर

16. भवन निर्माण कार्य की कुल सेवा _____
17. क्या आवेदक किसी अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य है, यदि हां तो विवरण दीजिए _____
18. परिवार का विवरण–

क्र सं.	परिवार के सदस्य का नाम	आवेदक से सम्बन्ध	आयु	आधार कार्ड न०	शिक्षा का स्तर	स्कूल/ कालेज का नाम व पता यदि पढ़ रहा/रही है

19 क्या आवेदक के परिवार का कोई अन्य सदस्य इस बोर्ड में पंजीकृत है यदि हॉ तो विवरण दीजिए–

नाम----------पंजीकरण संख्या----------

20 आयु प्रमाणीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न की जाती है ( )
(क) आधार कार्ड (ख) जन्म प्रमाण पत्र(ग) राशन कार्ड (घ) मतदाता पहचान पत्र (च) ड्राईविंग लाईसेंस (छ) पैन कार्ड
(ज) स्कूल प्रमाण पत्र (झ) पासपोर्ट
(उक्त में से कम से कम एक अनिवार्य है)

21 पजीकरण फीस रूपये 25 + ____ कुल……..रूपये

प्राप्ति रसीद न. /डी०डी० न ---------दिनांक------

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोतम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही है। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि बोर्ड को वापिस देने का वचन देता हूँ।

स्थान----------

दिनांक--------

आवेदक के हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान

<u>नामांकन प्रारूप</u>

नमाकिंत व्यक्तियों के नाम व पता	सदस्य के साथ सम्बन्ध	नंमाकित की उम्र	प्रत्येक नांमांकित व्यक्ति को दी जाने वाली % राशि

स्थान----------

दिनांक--------

भवन व अन्य संनिमार्ण कर्मकार होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ----------पुत्र/पुत्री/पत्नी----
निवासी----------निर्माण कामगार के रूप में नियोजक----------
----------(नाम व पता) के निर्माण कार्य पर पिछले एक वर्ष की अवधि में---------दिनों तक कार्य करता रहा है/रही है/तथा वह निर्माण कर्मकार है।

स्थान----------
दिनांक--------

प्रमाणकर्ता का नाम, पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

(नियोजक/ठेकेदार/निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन/ग्राम पंचायत सचिव/पंचायत अधिकारी/नगर-पालिका/परिषद/निगम के कनिष्ठ अभियन्ता अथवा समकक्ष अधिकारी में से किसी एक से प्रामाणित करवाएं)

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी की जांच उपरान्त सन्तुष्ट होने पर पंजीकरण की स्वीकृति दी जाती है।

स्थान----------
दिनांक--------

पंजीयन अधिकारी का नाम,
पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

कार्यालय प्रयोग हेतू

राज्य कोड----------
जिला कोड----------
पंजीकरण संख्या आवंटित----------
पंजीकरण की तारीख----------

पंजीयन अधिकारी का नाम,
पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदकश्री/ श्रीमति----------पंत्र/पुत्री /पत्नी----------से आज दिनांक ----------डायरी न० ----------के तहत पंजीकरण हेतू फार्म व फीस----------रूप्ये (कैश/रसीद संख्या-------/डीडी संख्या----------) प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी का नाम,
पद व हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कुछ विशिष्ठ कामगारों तथा बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों तथा कतिपय गैर – कोयला खान कामगारों के लिए कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन निधियों का प्रयोग श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण प्रावधानों अर्थात स्वास्थ्य देख– रेख, आवास, बच्चों के लिए शिक्षण सहायता, पेयजल की अपूर्ति इत्यादि के लिए किया जाता है ।

1. "असंगठित कामगार" को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत एक गृह–आधारित कामगार, स्व–नियोजित कामगारअथवा असंगठित क्षेत्र में एक मजदूरी लेने वाले कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2009-2010 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षत्रों में कुल 46.5 करोड़ लोग नियोजित थे। इसमें से लगभग 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र और शेष 43.7 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र के 4.4 करोड़ निर्माण में और शेष विनिर्माण कार्यकलाप,व्यापार और परिवहन, संचार एवं सेवाओं में नियोजित थे। बड़ी संख्या में असंगठित कामगार गृह आधारित श्रमिक हैं और बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, वस्त्र सिलाई तथा कशीदाकारी जैसे बरूवसाओं में लगे हुए हैं।

बहुत से विधान जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1984 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, ठेका शरम (प्रतिषेध एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996, इल्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी लागू हैं।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतू श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 16.5.2009 से लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय नियम बना दिए गए हैं।

अधिनियम के अंतर्गत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 बनाये गए हैं तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का 18.08.2009 को गठन किया गया था। राष्ट्रीय बोर्ड असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य लाभों की सिफारिश करेगा। राष्ट्रीय बोर्ड की अब तक छः बैठकें हुई हैं और इन में असंगठित कामगारों की कतिपय श्रेणीयों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जन श्री बीमा योजना (जेबीवाई) और वृद्धावस्था पेंशन का विस्तार किए जाने की सिफारिश की गई है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई जा रही केन्द्रीय योजनाएं

सरकार ने सामूहिक बीमा योजनाएं प्रारम्भ की हैं, जैसे गरीबी रेखा से नीचे या थोड़ा उपर के लोगों के लिए जन श्री बीमा योजना और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना , जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी शामिल हैं । कुछ रोजगारपूरक योजनाएं हैं, जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इत्यादि जिनसे असंगठित क्षेत्र के कामगार लाभाविन्त हो रहे हैं।

उपर्युक्त के अलावा, असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (पांच सदस्यों की ईकाई) के लिए **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना "** नामक स्वास्थ्य बीमा योजना औपचारिक रूप से 01 अक्टूबर 2007 को आरम्भ की गई थी। यह योजना 01 अप्रैल, 2008 से आरम्भ हो गई है और लाभार्थियों को योजना के अतर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल हैं :

लाभार्थी प्रतिवर्ष प्रति परिवार को फैमिली पलाटर आधार पर स्मार्ट कार्ड आधारित नकद भुगतान रहित 30,000/- रूपये को स्वास्थ्य व बीमा कवर के हकदार हैं ।

- पहले से विद्दमान सभी रोग शामिल हैं।
- अस्पताल में भर्ती संबधी व्यय की कवरेज प्रसूति लाभ सहित
- प्रति दौरा 100/. रूपये आने–जाने का व्यय।

18-59 वर्ष के बीच के आयु के ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु और अपंगता कवर प्रदान करने की दृष्टि से 2.10.2007 को "आम आदमी बीमा योजना" भी आरम्भ की गई है । योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया या परिवार के एक कमाने वाले सदस्य का बीमा किया जाएगा । केन्द्र सरकार 200/- रूपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति का प्रीमियम का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा इस योजना के लाभों में स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/- रूपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण अस्थाई अपंगता दुर्घटना में (दोनों आंखे या दो अंग या एक आंख और एक अंग खो देने पर) के मामले में 75,000/- रूपये का भुगतान शामिल है। आंशिक स्थाई अपंगता (दुर्घटना में एक आंख या अंग की हानी होने पर) के मामले में 37,500/- रूपये का बीमा कवर होगा। इस योजना में लाभार्थी को 9 वीं से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए 300/- रूपये प्रति तिमाही प्रति बच्चे की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लाभ की भी

संकल्पना की गई। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत, 4.80 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उसकी सेवानिवृत्ति हेतू स्वेच्छा से बचत करने तथा इन अभिदाताओं के लिए नयीं पेंशन योजना (एनपीएस) के संचालन की लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 26.09.2010 को "स्वावलंबन" नामक सह अंशदान पेंशन योजना शुरू की है। भारत सरकार प्रत्येक पात्र एनपीएस अभिदाता के लिए जो स्वालंबन योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1000/- रूपये तथा अधिकतम 12000/- रूपये वार्षिक का अंशदान करती है। 1000/- रूपये का अंशदान करती है। 1000/- रूपये की दर से अंशदान 2012-13 तक खोले गए सभी खातों के लिए वर्ष 2016-17 तक पांच वर्षों के लिए उपलब्ध है। इस योजना से वर्ष 2016-17 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 70 लाख कामगारों के लाभाविन्त होने की संभावना है। 10.11.2012 तक "स्वालंबन" के अन्तर्गत 11.29 लाख से अधिक नामाकन किए जा चुके हैं।

<u>अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979</u>

इस अधिनियम का उददेश्य अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के नियोजन को विनियमित करता है तथा इसमें उनकी सेवा शर्तों का प्रापवधान किया गया है। यह अधिनियम उस प्रत्येक स्थापना (और ठेकेदार) पर लागू होता है जिसमें पांच अथवा अधिक अंन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार नियोजित हों। अधिनियम में प्रत्येक अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार के लिए पास बुक जारी करने का प्रावधान है जिसमें विस्थापन भत्ते की अदायगी जो मासिक वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर अथवा 75 रूपये, जो भी ज्यादा हो, यात्रा भत्ते की अदायगी, जिसमें यात्राा अवधि के दौरान वेतन की अदायगी शामिल है, रहने का समुचित स्थान, चिकित्साा सुविधा, रक्षात्मक वस्त्र, वेतन का भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि का पूरा व्यौरा दिया गया हो। केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रर्वतन की मुख्य जिम्मेदारी क्रमशः केन्द्र और संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों की है।

प्रवास की समस्या को विधि कार्यवाईयों जैसे ग्रामीण विकास द्वारा उन्नत ढांचागत सुविधाओं के प्रावधानों से क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए साधनों समान वितरण, रोजगार के सृजन,भूमि सुधार , साक्षरता बढ़ाने वित्तीय सहायता आदि से रोका जाना चाहिए। राज्य स्तर पर बेहतर रोजगार के अवसरों के सृजन हेतू सरकार ने स्वर्णजंयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना (एसजीएसवाई), राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (एन एफ एफडब्लू यूपी), ईन्दरा आवास योजना (आईएवाई) एकीकृत प्रति भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्लूयूपी, सूखा संभवित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) आदि जैसी अनेक योजनाऐं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की रोजगार गारन्टी हेतू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम भी अधिनियमित किया है।

6. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार

असंगठित क्षेत्र में कामगारों की सबसे बड़ी श्रेणी निर्माण में लगे कामगारों की है। 2009-2010 में एन एस एस ओ द्वारा किए गए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 4.46 करोड़ कामगार निर्माण कार्यकलापों में लगे हैं। सरकार ने निर्माण कामगारों के लिए निम्नलिखित दो विधान अधिनियमित किये हैं–

- **भवन तथा अन्य निर्माण कामगार (रोजगार तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996.**
- **भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996.**

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

इन्स्टिटूशनल प्लाट नम्बर 9,

सैक्टर-14, पंचकुला

ई–मेल : hslsa@chd.nic.in वैब साईट : www.hslsa.nic.in